मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

दिशानिर्देश

(2019)

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx
cgknqj 'kkg tQj ekxZ] ubZ fnYyh&110002
oSclkbV % **www.ugc.ac.in**

मानव संसाधन विकास केन्द्रों हेतु दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना, 2. उद्देश्य, 3. मूल भावना 4. योजनाओं का कार्यान्वयन, 5. ''समिश्रित और गहन मिशन मोड'' के अंतर्गत मानव संसाधन विकास केन्द्र का स्वरूप 6. पाठ्यचर्या 7. पात्रता, लक्ष्य समूह और अवधि 8. योजना की प्रगति की निगरानी की प्रक्रिया 9. एचआरडीसी हेतु विअआ की वित्तीय सहायता

1. प्रस्तावना

शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। आज की स्थिति के अनुसार, हमारे देश में 950 विश्वविद्यालय, 42,000 महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग कुल 31 मिलियन छात्र अध्ययरत हैं। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) गत 10 वर्षों में दुगना होकर 25.2 प्रतिशत के स्तर तक आ गया है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात किए जाने का अनुमान है। तथापि, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 'क्या है' और 'नहीं' हो रहा है के संबंध में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो महाविद्यालय जाते हैं लेकिन स्नातक नहीं हो पाते। हमारे छात्रों की नियोजनीयता की कम प्रतिशतता को भी उजागरता किया गया है जोकि गम्भीर चिंता का विषय है। कुछ स्नातक नियोजन के लिए तैयार तो हो पाते हैं लेकिन उनके पास वैश्विक आर्थिक परिवेश में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान, प्रवीणता और तैयारी का अभाव रहता है। परम्परागत ज्ञानार्जन विधियां अधिकतर उन बातों में विफल होती जा रही हैं जिनके अंतर्गत शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात् कुछ कर सकता था जबकि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके पास सर्वोत्तम मार्ग उच्चतर शिक्षा में परिणाम आधारित शिक्षा प्रणाली (ओबीई) है। परम्परागत उच्चतर शिक्षा के मॉडल में यथास्थिति में कुछ ऐसे कारणों जैसे बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, निजी रूप से वित्तपोषित संस्थाओं में वृद्धि, परिवर्तित होती जनसांख्यिकी, गतिशील आबादी, नई प्रौद्योगिकी में कुशाग्र छात्र जो कभी भी और कहीं भी अनुकूलित शिक्षा के आशावान तथा नए वाणिज्यिक शिक्षा प्रदाओं के प्रादुर्भाव से चुनौती मिल रही है।

देश, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की प्रक्रिया में है। यह अनुमान है कि भारत की उच्चतर शिक्षा में:

- परिवर्तनकारी और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 50 प्रतिशत होगा।
- राज्यवार, लिंग आधारित और सामाजिक असमानता में सकल नामांकन अनुपात में 5 प्रतिशत की कमी होगी।
- देश, वैश्विक मेधा के सबसे बड़े एकमात्र प्रदाता के रूप में उभरेगा, जहां विश्व के चार स्नातकों में से एक भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली से होगा।
- अनुसंधान परिणाम के रूप में विश्व के शीर्ष पांच प्रमुख देशों में से एक होगा।
- विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से 20 से अधिक विश्वविद्यालय होंगे।

ई–लर्निंग और एम–लर्निंग जैसी नई शिक्षा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त, शिक्षा प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल की जा रही है। समसामयिक काल में

हमारे विश्वविद्यालय पृथक रूप से शैक्षणिक जीवन को बढ़ावा नहीं दे सकते बल्कि उनसे व्यापक समाज और उसके सरोकारों के साथ चेतना और सूझबूझ का हिमायती बनने की अपेक्षा भी है।

यद्यपि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है कि शिक्षक, हमाारी शिक्षा प्रणाली की धुरी होता है तथापि, हमारी प्रणाली में उन्हें अपने वृतिका संबंधी विकास के लिए पर्याप्त अवसर नही मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सबके केन्द्र में शिक्षक है, उनके उत्प्रेरण–प्रशिक्षण, नवोन्मेषी रूझानों के सतत् रूप से अनुभव, विभिन्न विधाओं तथा विभिन्न विषयों उन्नत ज्ञान की पुनः समीक्षा किए जाने तथा उनका देश के समसामयिक परिदृश्य के अनुरूप पुनःनिरुपित किए जाने की आवश्यकता है। नवोन्मेष, व्यापक तथा गत्यात्मक सहयोग मॉडल को भी बढ़ावा दिए जाने हेतु संकाय ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के अभिशासन हेतु नई कार्यनीतियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

2. उद्देश्य

उच्चतर शिक्षा में हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर, मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) युद्ध स्तर पर निम्नवत के लिए प्रयासरत रहेंगेः–

(क) बजट अथवा स्थान विशेष की पर ध्यान दिए बिना उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना तथा मुक्त व्यापक ऑनलाइन खुले पाठ्यक्रमों तथा 'हाईब्रिड क्लॉसेज', अनुकूलित शिक्षण सॉफ्टवेयर पर आधारित शिक्षा संबंधी विशेषरूप से अभिकल्पित अभिविन्यासित कार्यक्रमों को आयोजित करके व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ आयोजना तैयार करना तथा परम्परागत उपाधि–क्रेडिट को प्रणाली से हटाना।

(ख) सेवारत अध्यापकों के लिए संख्या की अपेक्षा परिणाम वाले समिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों (प्रवेशन/अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों) का आयोजन करना जिनमें तीन से पांच वर्षों में कम से कम एक बार अध्यापक शामिल हों ताकि वे अपने आप को एक अनुदेशक न समझें बल्कि एक अभिकल्पक और विशेष उद्देश्ययुक्त शिक्षण विकास दल का सदस्य समझें।

(ग) अध्यापकों को संस्थागत शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रतिपादक के रूप में आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करें जिससे कि उन्हें अनुसंधान, प्रेरणा और संयोजन के माध्यम से उद्यमिता को आगे बढ़ाने में सहायता मिले और उन्हें प्रधानकृत्य से जोड़ने तथा सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि में प्रतिभाग करने के प्रोत्साहित करना।

(घ) शिक्षण संबंधी नेतृत्व, प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण, आपदा प्रबंधन, लैंगिक संवेदनशीलता, अंतरराष्ट्रीय सम्पदा अधिकार, समाज से जुड़े कार्यक्रम तथा मूल्यांकन सहित शिक्षण परिणाम आधारित शिक्षा जैसे विषयों पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करना।

(ङ) नव नियुक्त तथा सेवारत अध्यापकों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषरूप से तैयार किए गए प्रवेशन/ अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा 'मूल्य आधारित संवादी मल्टीमीडिया' जो निर्देशात्मक मीडिया और आईसीटी में एकीकृत संव्यवहार के माध्यम से हो तथा सृजन, जिज्ञासा, अभिमूल्यन, परिश्रम आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, अनुशासन और अध्यापक सुविधा प्रदाताओं के बीच सहानुभूति जैसे गुणों को परिपोषण करे।

इस प्रकार से, उपर्युक्त के दृष्टिगत, मानव संसाधन विकास केन्द्र का उद्देश्य नव नियुक्त सहायक आचार्यों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी सदस्यों को निम्नवत हेतु समर्थवान बनाना हैः–

(प) वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से शिक्षा तथा विशेषरूप से उच्चतर शिक्षा के महत्व को समझना।

(पप) भारतीय राज्य शासन विधि जहां लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समता समाज के मूल सिद्धांत है, के विशेष संदर्भ में शिक्षा तथा आर्थिक और सामाजिक आर्थिक तथा सामूहिक विकास के बीच की कड़ी को समझना।

(पपप) उच्चतर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में शिक्षण के मूल कौशल को प्राप्त करना और उसमें सुधार लाना।

(पअ) अपने विशिष्ट विषयों में नवीनतम घटनाओं की जानकारी रखना।

(अ) महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय संगठन और प्रबंधन को समझना तथा इस पूरी व्यवस्था में अध्यापक की भूमिका समझना।

(अप) व्यक्तित्व कार्य पहल और सृजनता के विकास हेतु अवसरों का उपयोग करना।

(अपप) उच्चतर शिक्षा में आईसीटी 'मुक्त विषयवस्तु' (ओईआर और एमओओसी) का उपयोग से चुनौतियों और अवसरो पर व्यापक और सुसंगठित पर्यवेक्षण प्रदान करना तथा विश्वविद्यालयो और अन्य शिक्षण संस्थाओं में भावी ज्ञानार्जन के प्रति उच्चतर शिक्षा के प्रमुख हितधारकों के दृष्टिकोण और प्रत्याशाओं का विहंगावलोकन करना।

3. मूल भावना

एचआरडीसी के पीछे मूल भावना इस बात को समझना है कि शिक्षक इस पूरी प्रणाली का केन्द्र बिंदु है। परिवर्तन की गति बढ़ने के साथ ही उच्चतर शिक्षा का भविष्य और अधिक अप्रत्याशित होता जा रहा है और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि देश के बढ़ते सपनों के दृष्टिगत इसकी प्रासंगिकता कैसे अक्षुण्ण रखी जाए। विश्व, पहले से भी अधिक तेजी से बदल रहा है और हमारे कौशल जल्दी ही पुराने पड़ जाने वाले हैं। आज विश्व पहले से भी अधिक जुड़ता जा रहा है। इस जुड़े हुए विश्व में, शिक्षक को नया महत्व और अर्थ मिलना निश्चित है। हमारी चुनौतियां बहुपक्षीय हैं और इसके लिए चिंतन तथा सामाजिक–तकनीकीगत अनुभूति की आवश्यकता है तथा इसके लिए जितना महत्व कौशल का है उतना ही मनोवृत्ति और त्वरित क्रियाविधियों का भी है। किसी विषय की प्रकाशित सामग्री भी हर वर्ष वृहद होती जा रही है। इन सबके फलस्वरूप, अधिकतर संकायों, प्रशासकों और नीति–निर्माताओं सहित सभी सर्वाधिक विवेकशील प्रेक्षकों के सम्मुख इस समस्या को समझने में कठिनाइयां आ रही हैं।

इस परिदृश्य में, ऐसे समय और वर्तमान वैश्वीकरण के युग में शिक्षक की जो भूमिका विकसित हुई है उससे यह आशा की जाती है कि वह इस परिवर्तन का नेतृत्व और सुकरकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए। संकाय विकास हेतु एचआरडीसी, पीएमएमएमएनएमटीटी केन्द्रों और अन्य संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एक कार्यनीति संकाय में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यान्वयनकारी एककों के माध्यम से संकाय विकास पर बल का तात्पर्य सभी संकायों को उन विशिष्ट क्षमताओं को अर्जित करने में सक्षम बनाना है जो उनके कार्य निष्पादन में सुधार करेगी विशेषकर शिक्षण प्रभावकारिता में और छात्र ज्ञानार्जन को सुकर बनाने में प्रभावी होगी; ज्ञान के नए क्षेत्रों/ सीमाओं के बारे में प्रेरणा देगी तथा नए अनुदेशक संदाय मॉडलों/ प्रौद्योगिकी युक्त शिक्षण को लागू करेगी जिससे छात्र ज्ञानार्जन परिणामों में सुधार होगा तथा शिक्षण में प्रभावकारित तथा अनुसंधान और संबद्ध अध्येतावृति में उत्कृष्टता बढ़ाएगी। इसलिए, ज्ञानार्जक समाज के ढांचे के भीतर वृतिकाजन्य विकास की चालू प्रक्रिया के रूप में शिक्षकों के

लिए आजीवन ज्ञानार्जन और क्षमता निर्माण के लिए अवसरों हेतु आन्तरिक तंत्र विकसित करना अति आवश्यक है ताकि सेवारत शिक्षक उस परिणाम आधारित ज्ञानार्जन और समिश्रित ज्ञानार्जन विधि के दृष्टिगत शिक्षण–ज्ञानार्जन अनुभव में व्यापक परिवर्तन के तथ्य को स्वीकार करते हुए अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति सजग रहें और समझें कि :

- यह कार्य संबंधात्मक है।
- अंततः, जो मायने रखता है वह यह नहीं कि क्या पढ़ाया गया बल्कि यह है कि क्या सीखा गया है।
- हम क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं और हम किस प्रकार आकलन करते है को इस प्रकार के ज्ञानार्जन के परिणाम से देखा जाना चाहिए, जैसे कि हम पूर्णतः एक है और एक–दूसरे के अनुरूप हैं,

4. योजना का कार्यान्वयन

यह अनुमान है कि भावी उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2020 तक भारी परिवर्तन होंगे और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कृत्यों, शिक्षण विधियों तथा ज्ञानार्जन, शिक्षाशास्त्र संबंधी दृष्टिकोण, छात्र–शिक्षक संबंध और शिक्षक की भूमिका की दृष्टि से उसका स्वरूप पूरी तरह भिन्न होगा। यह समय की मांग है कि एचआरडीसी इन समस्याओं के समाधान तथा इसके अनुकूलन तथा अनुकूल में विफलता के संभावित परिणामों अथवा अन्य नीतिगत उपाय और पहलों की संभावनाएं तलाशे। भूमिका और नवोन्मेष तथा ज्ञानार्जन को आधार मानक इस कल्पना को साकार करने की संभावना तलाशते हुए, भविष्य के लिए ज्ञानार्जन का एक ऐसा दृष्टिकोण सृजित किया जाए जो कि प्राप्य, मापनीय हो और जो उस प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़े जोकि उसे और उससे संबंधित लोगों को पोषित करती हो। इसमें वैश्विक क्षमता के अनुरूप योग्यता प्राप्त तथा सक्षम अध्यापकों की उपलब्धता तथा उनके निरंतर ज्ञान उन्नयन तथा विभिन्न विषयों और विषयोत्तर तेजी से उभरते नए ज्ञान की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए शिक्षक तथा शिक्षण संबंधी 'पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन' शामिल है। तृतीयक शिक्षा क्षेत्र में भी गत दशकों में भारी विस्तार देखा गया है। इन अधिकतर तृतीयक संस्थानों का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीयकरण रहा है। इसके लिए, संस्थागत रूपरेखा, गुणवत्ता मानक और वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ाना, सर्वोत्तम छात्रों तथा संकाय को शामिल करना, राजस्व जुटाना, और आन्तरिक विविधता को बढ़ावा देना जैसे अनेक अभिप्रेरण हैं। इसका महतवपूर्ण और बहु–प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा उत्प्रेरक आर्थिक (अर्थात् मानव पूंजी, अनुसंधान, नवोन्मेष और व्यापार संवर्द्धन) रूप से से प्रभाव पड़ता है जिसका परिणाम दोनों व्यक्तियों तथा व्यापक आर्थिकी से संबंधित सुस्थापित हितलाभों के रूप में सामने आता है।

शैक्षिक समुदाय का वर्द्धित–परस्पर जुड़ाव और डॉटा तथा अनुसंधान तक खुली पहुंच से विश्व में इनके बीच वृहत अनुसंधान सहयोग बढ़ेगा। सभी स्तरोंः संस्थागत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए वित्तपोषण योजना में इसे स्थान देना होगा तथा इसका अनुसमर्थन करना होगा। उद्योग जगत में अनुसंधान के अनुप्रयोग में वर्द्धित लोचशीलता, उद्यमिता की आवश्यकता होगी तथा इसमें यह भी सम्भव है कि हमारा शैक्षिक समुदाय के बीच भिन्न शासन विधि तंत्र हो।

उच्चतर शिक्षा संस्थान की दो भिन्न भूमिकाएं हैंः 1. अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और 2. उनके द्वारा अर्जित क्षमताओं के स्तर का प्रमाणन। इनकी पहली भूमिका पर आईसीटी के माध्यम से नए औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण अवसरों के आने से काफी प्रभाव पड़ा है तथा निश्चित रूप से इसमें संशोधन करना

होगा क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालयों का उच्च गुणवत्ता की प्रासंगिक जानकारी तथा ज्ञान तक पहुंच का एकाधिकार नहीं रहा है। दूसरी भूमिका यह सत्यापित करना है कि छात्र, प्रशिक्षण से उपयुक्त रूप से लाभान्वित हुआ है और योग्यता प्राप्त लोगों द्वारा ली गई उपयुक्त परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ है ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मुख्य कार्य रहने की संभावना है। यद्यपि, इस तरह के प्रमाणन का स्वरूप उसका संभाव्यता, नियमितता, शिक्षा संदाय का प्रकार के रूप में भिन्न हो सकता है जोकि श्रम बाजार की कौशल उन्नयन और पुर्नकौशल की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

आईआर/ एमओओसी और आईसीटी के उपयोग से ज्ञानार्जन तक पहुंच प्रदान करने के लिए ज्ञान तक पहुंच में उच्चतर शिक्षा की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। इसलिए, शिक्षक की भूमिका भी ज्ञान के सुकरकर्ता, मार्गदर्शक, गुरु, मानीटर–ट्यूटर और परामर्शदाता की भूमिका में बदलती जा रही है। यह परिकल्पना की जा रही है कि मुक्त शिक्षा संसाधन (आईआर) और व्यापक मुक्त शिक्षा ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) अगले 15 वर्षों में शिक्षण और ज्ञानार्जन के अभिन्न भाग बन जाएंगे तथा स्थानांतरण और मान्यता तथा आईआर/एमओओसी आधारित परिणाम की 'माईक्रो–क्रेडेक्सिमलिंग' एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आएगा। वर्ष 1975–76 में पहली बार, भारत में कई प्रयोग किए गए जिनमें ''सेटेलाइट इंटरएक्टिव टेलीविजन एक्सपेरिमेंट'' (एसआईटीई) जैसा प्रमुख प्रयोग भी शामिल हैं, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद् तथा नासा ने तैयार किया और जिसकी सहायता से कक्षा में शिक्षण अब देशव्यापी कक्षा में बदल गया है एसआईटी ने दिखाया कि भारत देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है, से भारतीय अनुभव का लाभ उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1984 में दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क पर ''विअआ देशव्यापी कक्षा'' का शुभारंभ किया तथा 1993 में कंन्सोटिएम फॉर एडुकेशनल कम्यूनिकेशन'' नामक अंतर–विश्वविद्यालयी केन्द्र ईएमआरसी से समन्वय करने वाले और सीडब्ल्यूआरसी मिशन को अत्यधिक प्रभावी आकर्षक और सफल बनाने वाले केन्द्र की स्थापना की। इसके अलावा, सीईसी ने आईएनएफएलआईबीएनईटी (सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र) के साथ ई– एजुकेशन पोर्टल को तैयार करने में भी सहयोग किया। इस पोर्टल में सीईसी के मीडिया केन्द्र में सीईसी के वीडियो संसाधनों की ग्रंथसूची संबंधी डॉटाबेस निहित है। वीडियो कार्यक्रम ई–विषयवस्तु और एसएलओ को सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क केन्द्र के सर्वर से जोड़ा गया है जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनफोनेट परिसंघ के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को सीईसी डॉटाबेस के वीडियो संसाधनों तक पहुंच मिलती है। सीईसी और उसके मीडिया केन्द्र दो तरह के शिक्षा वीडियों कार्यक्रमों को तैयार करते हैं (प) पाठ्यचर्या आधारित और (पप) समृद्धि आधारित (अनुपूरक ज्ञानार्जन हेतु)। इन कार्यक्रमों में चार बैंडों/ धाराओं के सभी अलग– अलग विषय होते हैंः 1. भाषा/साहित्य/कला और संस्कृति 2. सामाजिक विज्ञान 3. प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर विषय 4. विज्ञान/प्रौद्योगिकी और अब इनके पास लगभग 37048 शिक्षा संबंधी वीडियो कार्यक्रमों वाला ज्ञान का भण्डार है। सीईसी–विअआ डीटीएच चैनल एवं प्रभा प्लेटफार्म स्नातकपूर्व गैर प्रौद्योगिकी तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए जो चरण 1 के अंतर्गत एनओसीसी विकास के 31 स्नातकपूर्व और 72 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। सीईसी कक्षा में शिक्षण के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यचर्या तथा समृद्धि आधारित दोनों ही कार्यक्रम चलाता है तथा उन्हें अनन्य रूप से सीईसी–विअआ उच्चतर शिक्षा सेटेलाइट चैनल, व्यास पर 24 ग 7 रूप से प्रसारित किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे संसाधनों की गुणवत्ता और ज्ञानार्जन परिणाम तथा मूल्यांकन से सबंधित है। प्रमाणन प्रणाली को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा आकलन प्रक्रिया को उन मुक्त विषयों के व्यापक उपयोग का अनुसमर्थित करने के लिए एक समान बनाया जाना चाहिए जो अपने तटस्थीकरण के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए आवश्यक है।

उच्चतर शिक्षा तथा आजीवन ज्ञानार्जन का एक उद्देश्य प्रौद्योगिकी को सीखकर उसका उपयोग करते हुए ज्ञानार्जन भी माना गया है। इस क्षेत्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने छात्रों को

पढ़ाएं कि वे स्नातक होने के बाद भी सीखें, नए कौशलों को अपनाने में सक्षम हो और नई प्रौद्योगिकियों में निपुण हो, वह भी तब जब आज उन्नत मानी जाने वाली प्रौद्योगिकी जल्दी ही पुरानी पड़ जाएगी। शिक्षक ज्ञान का संदाय अथवा अंतरण ही न करे बल्कि वह ''शिक्षाशास्त्र का इंजीनियर'' ''डिजिटल संसाधन डिजाईनर'' तथा ''डिजिटल पाठ्यक्रम डिजाईनर'' भी बने। शिक्षण से आशा की जाती है कि वह एक दल का कार्यकलाप बनेः शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी सदस्यों को भविष्य में अपनी–अपनी भूमिकाएं तथा निर्धारित कार्य साझे करने होंगे। शिक्षण दल परस्पर–पेशेवर होगा और उसमें कई ऐसे विषयगत क्षेत्र अथवा कार्यकलाप शामिल होंगे जो और अधिक चुनौती आधारित होंगे। शिक्षक और छात्रों के संबध में भी परिवर्तन होने का अनुमान हैः शिक्षक छात्रों से विशेषकर शिक्षा की विषय वस्तु को संयुक्त रूप से तैयार करने में सहयोग करेंगे।

इसके अलावा, प्रत्येक विषय में ज्ञान की भारी वृद्धि हुई है। एक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक को अपने चुनिंदा विशेषज्ञता के विषय में अपने ज्ञान को निरन्तर अद्यतन करना पड़ता है अथवा बहुत ही कम समय में उसका ज्ञान पूर्णतः कालविरुद्ध हो जाएगा। आजीवन ज्ञानार्जन संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा रहती है कि वे व्यक्तिगत समिश्रित ज्ञानार्जन प्रस्तावों का उपयोग करके विषय वस्तु सुगमता तथा कौशल विकास को प्रदान करें और छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान के संयुक्त पाठ तैयार करें। शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। भविष्य के शिक्षकों को अपने विषय तथा संबंधित प्रौद्योगिकी दोनों में ही समर्थवान होना चाहिए। निरंतर प्रशिक्षण का बल डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि डिजिटल विषयवस्तु को तैयार करने पर भी होना चाहिए। शिक्षण संबंधी कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी डिजिटल विषयवस्तु को तैयार करने के तरीकों तथा आईसीटी विधियों के कार्यकरण के तंत्र को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संबंध में नए शिक्षाशास्त्रों को अपनाने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए। 'रिथिंकिंग एजुकेशन' अत्यधिक ज्वलंत अनुकूलनीय और वास्तविक ज्ञानार्जन के वातावरण तथा व्यक्तिगत आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को सुकर बनाने वाली शक्तिशाली सार्वतिक प्रौद्योगिकी मुक्त संभावना के कारण आवश्यक हो गया है। इस प्रकार से मुक्त विषयवस्तु शिक्षण ज्ञानार्जन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाएगा। ये मुद्दे ज्ञान के अंतरण और 'माईक्रो डिग्रियों' की शुरुआत सहित प्रत्यय–पत्रों के प्रदान करने की व्यवस्था की समीक्षा से ही संबंधित हैं।

आईयूसीडीई, सीईसी, इनफिलिबनेट और एचआरडीसी की भूमिका को पहचानते हुए और उसे निर्धारित करके सहयोगात्मक तरीके से सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों के समन्वयन हेतु तीन स्तरीय ढांचे की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, शीर्ष स्तर पर, आईयूसीटीई दिशानिर्देशों में विनिर्धारित पाठ्यचर्या के अनुरूप शिक्षा शास्त्रीय विधियों को विकसित करेगा और सीईसी ज्ञान संबंधी खामियों और क्रमागत श्रेष्ठ गुणता वाली प्रौद्योगिकियों का पता लगाकर ओईआर तथा एमओओसी को तैयार करने में सहायता करेगा जबकि इनफिलिबनेट अपने मुख्य कार्य के अलावा सभी संस्थाओं को ओडियो– वीडियो और संसाधनों के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत वितरण चैनल प्रदान करेगा। निचले स्तर पर निकटवर्ती एचआरडीसी, केएमआरसी तथा एनआरसी पहले से अनुकूलनित हुए प्रतिभागियों को शामिल करके सोशल मीडिया में स्थानिक तथा ऐहिक अनुशंसा के दृष्टिगत ई–संसाधनों को तैयार करने तथा उनके प्रसार में एक–दूसरे के साथ सहयोग करेंगे जिससे कि ''शिक्षाशास्त्र इंजीनियर'' ''डिजिटल संसाधन डिजाईनर'' और ''डिजिटल पाठ्यक्रम डिजाईनर'' के रूप में उनका ज्ञानार्जन का अनुभव आभूषित हो।

इस अनुसमर्थन के रूप में सर्वप्रथम एचआरडीसी को विशेषरूप से ऑनलाइन वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सीएएस के प्रयोजनार्थ एक सप्ताह के सम्पर्क/ व्यावहारिक अनुभव की पेशकश की जाएगी। प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित पक्षकारों से स्पष्ट जवाबदेही समुनुदेशित करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसका ढांचा संलग्नक 13 से 14 में दिया गया है। ये एचआरडीसी, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी शिक्षकों के लिए सुलभ निश्चित अवधि के सम्पर्क कार्यक्रमों हेतु निरंतर विअआ के नियंत्रण में रहेंगे।

यद्यपि वास्तव में उत्प्रेरित और परिणामी शिक्षक स्वयं को नए ज्ञान से अवगत रखने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा वे स्वयं को शिक्षण की नवीनतम प्रक्रियाओं, कार्यविधियों और तकनीकियों में प्रवीण करते रहते हैं। तथापि, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए कमबद्ध तथा सुसंगठित अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। सुलभता संबंधी विसंगतियों में कमी के बावजूद इन्हें पूरा करने की दर में भारी अंतर अभी भी है। हमारी शिक्षा प्रणाली विशाल, सुदृढ़ तथा धीमी गति की परिवर्तनकारी है। हमारे 105 मिलियन से अधिक उच्चतर शिक्षा संकाय ने पूर्व–डिजिटल युग में शिक्षा ग्रहण की और वे शिक्षा को उत्तर उपवनिवेशी मॉडल के रूप में देखते हैं। इस संबध में कोई भी त्वरित उत्तर नहीं है कि बड़ी संख्या वाले उन शिक्षकों तक कैसे पहुंच बनाई जाए जो कुछ हद तक बदलना नहीं चाहते हैं। उन पर अभी सहकर्मी दबाव सेवा में एक–एक करके बेहतर प्रोत्साहन प्रशासनिक दबाव आदि का आना शेष है। ''कैच–अप'' अभियान पद्धति के माध्यम से केन्द्रित और क्रमबद्ध अभियान जिसका लक्ष्य सेवारत सभी शिक्षकों को शामिल करना है चाहे उनका विषय और वरिष्ठता कुछ भी क्यों न हो। उनसे इन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में पंजीकृत होने और उन्हें पूरा करने का अनुरोध किया जाएगा तथा विअआ ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानक के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2018 के नवीनतम नियमों के तहत उन्हें मान्यता प्रदान की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) आरंभ किया है। यह अपने आप में एमओओसी प्लेटफार्म 'स्वयं' (एसडब्ल्यूएवाईएएम) का उपयोग करके ऑनलाइन पेशेवर विकास हेतु एक प्रमुख और अद्वितीय पहल है। 'अर्पित' के कार्यान्वयन हेतु प्रथम चरण में 75 विषयों – विशिष्ट राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों की पहचान की गई है जिन्हें संशोधित पाठ्यचर्या को आगे बढ़ने के लिए ऐसी ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्य दिया गया है जिसका केन्द्र बिंदु विषय में नवीनतम घटनाओं, नई और उभरती प्रवृत्तियां, शिक्षाशास्त्र संबंधी सुधार और कार्य–विधियां है। 'अर्पित' के माध्यम से सभी सेवारत शिक्षकों, चाहे उनका विषय और वरिष्ठता कुछ भी क्यों न हो, को प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके विषय में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखे जाने का अवसर प्रदान किया गया है। 'अर्पित' का दर्शन 'कोई भी', 'कहीं भी' और 'किसी भी समय' है तथा शिक्षकों को इन पाठ्यक्रमों को करने तथा विषय का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों ने आरंभिक रूप से 3 मिनट का ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसका तकनीकी रूप से आकलन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने किया है और इसे एमओसीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन के उपरांत तैयार किया है; इसे अनुमोदित किया गया है और 'स्वयं' पोर्टल पर अपलोड किया गया है। यह पाठ्यक्रम 40 घंटे मॉड्यूल है जिसमें 20 घंटे की वीडियो विषयवस्तु और 20 घंटे का गैर–विषयवस्तु संबंधी वीडियो है। उन्हें अत्यधिक लोचदार प्रारूप दिया गया है और कोई भी इन्हें अपना सुविधानुसार कर सकता है। इसमें आकलन संबंधी अभ्यास पाठ और कार्यकलाप दिए गए हैं जो कि पाठ्यक्रम में शैक्षणिक प्रगति का भाग है। पाठ्यक्रम के अंत में अंतिम आकलन होगा जिसे ऑनलाइन अथवा लिखित परीक्षा के रूप में दिया जा सकता है। सभी संकाय जो ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे उन्हें इस बावत प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

वर्तमान में, राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र उस 40 घंटे के विषय विशिष्ट मॉड्यूल की पेशकश कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप अन्तर्निहित है और जिन्हें संकाय प्रशिक्षुओं को समय देना चाहिए। इसमें भी अंत में ऑनलाइन परीक्षा और प्रमाणपत्र का प्रावधान है। सामान्यतः ओईआर आधारित पाठ्यक्रम की गणना 30 घंटे की होती है जिसमें विषयवस्तु आधारित समय और ऑफलाइन ज्ञानार्जन शामिल है, तदनुसार, इस 40 घंटे के ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का समय मान लगभग 80 घंटे के बराबर होगा।

क्षमता निर्माण, ज्ञान संवर्धन और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य समूहों की पहचान की गई है जिसका लक्ष्य हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नवाचार, सृजनता और ज्ञानार्जन तथा

अनुसंधान में उन्नत गुणता के अनुकूल और अधिक शैक्षणिक वातावरण सुकरकर्ताओं के रूप में परिवर्तित करने पर बल देने का समग्र दृष्टिकोण है।

- उच्च ज्ञानार्जन के संस्थानों में शिक्ष्ण और अनुसंधान में जुटे संकाय सदस्य।

- शिक्षक शिक्षादाताः एचआरडीसी का संसाधक

- बेहतर प्रशासन और तेजी से उभरते आईसीटी संसाधनों और अनुप्रयोगों के कुशल उपयोग को सुकर बनाने के लिए ज्ञानार्जन के उच्च संस्थानों के मुख्य शिक्षणेत्तर पदाधिकारी,

- अनुसंधान करने वाले विद्वान।

'समश्रित और त्वरित मिशन मोड' के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास केन्द्र अंतर–विश्वविद्यालयी संस्थान की तर्ज पर विअआ द्वारा प्रायोजित पृथक संस्था होगी जो राज्य/ पड़ोसी राज्यों के भीतर स्थित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संबंधित आवश्यकता को पूरा करेगी। यद्यपि, निपुर्णता और समानता के आधार पर एचआरडीसी का भौगोलिक संस्थापन नियोजित ईष्टतम परिणाम का परिणाम नहीं है तथापि, किसी विश्वविद्यालय में पहले से स्थित एचआरडीसी को स्थानिक ज्ञान संसाधन का केन्द्र बनने के लिए उस विश्वविद्यालय तथा राज्य और उसके बाहर के विश्वविद्यालयों तथा ज्ञानार्जन के संस्थानों में उपलब्ध सभी सभापति संसाधनों का उपयोग करना होगा। इस आशय से, एचआरडीसी वाले सभी विश्वविद्यालयों को संबंधित एचआरडीसी को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा और आवधिक समीक्षा के अध्यधीन अक्षरशः मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विअआ के साथ संशोधित करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इन मानव संसाधन विकास केन्द्रों को प्रकार्यात्मक स्वायतता दी जाएगी। विअआ, इनकी निगरानी करेगा और तीन/ पांच वर्ष की अवधि अथवा विअआ द्वारा समय–समय पर यथा संसूचित अवधि के पश्चात् विअआ– एचआरडीसी के कार्यकरण की समीक्षा करेगा।

विअआ समीक्षा करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो, किसी एचआरडीसी को बंद कर सकता है। विअआ निगरानी करने और नीतिगत निर्णयों में सलाह देने तथा सभी एचआरडीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति गठित करेगा। ऐसी स्थायी समिति में शिक्षण क्षेत्र से छह सदस्य तथा विअआ का एक अधिकारी होगा जोकि इन मानव संसाधन विकास केन्द्र का ब्यूरो प्रमुख होगा। स्थायी समिति में निम्नवत छह सदस्य होंगेः–

1. समिति का अध्यक्ष (आयोग का सदस्य अथवा कुलपति/ निदेशक के स्तर का वरिष्ठ शिक्षाविद् हो सकता है)

2. तीन वरिष्ठ शिक्षाविद् (कुलपति/ संकाय अध्यक्ष, पूर्व कुलपति के स्तर का)

3. एचआरडीसी के दो निदेशक

एचआरडीसी नव– नियुक्त शिक्षकों के लिए कार्यक्रम को आरंभ करने की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और प्रतिभागियों के लिए इसे अनिवार्य करके ओपी/ आरसी की अवधि को घटाकर एक सप्ताह का ऑनलाइन कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मुख्य बल 'रिथिंकिंग, एजुकेशन पर होगा जिसकी आवश्यकता उस शक्तिशाली सार्वत्रिक प्रौद्योगिकी सक्षम संभाव्यवता के कारण हुई है जो कि अत्यधिक ज्वलंत, अनुकूलनीय है और वास्तविक ज्ञानार्जन के वातावरण तथा व्यक्तिगत आजीवन ज्ञानार्जन अवसरों को सुकर बनाती है। इस प्रकार से ओपी तथा आरसी समिश्रित मोड में आयोजित किए जाएंगे। एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी स्तरों के संकाय पर विभिन्न अन्तर विषयिक विषयों और आवश्यकता आधारित

विषयों को शामिल किया गया है। हमारे सभी अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में ओईआर/ एमओओसी और परिणाम आधारित शिक्षा शामिल की गई है। दर्शन के कथन में निम्नलिखित अपेक्षित विशेषताएं निहित हैं। ''त्वरित मिशन मोड'' के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकाय संरचना की समीक्षा की गई है और निर्णयकर्ताओं और उच्चतर शिक्षा के अग्रणी व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग से विअआ स्थायी समिति के माध्यम से एचआरडीसी प्रबंधन को प्रभावी बनाया गया है:–

- बोर्ड और प्रशासन, निर्णय लेने की प्रक्रिया भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अनुकूल परिवेश में चुनौतियां
- उचित लेकिन कड़ा अनुशासन
- व्यक्तिगत कार्यक्रम विशेषरूप से व्यक्तिगत ज्ञानअर्जन की गति के अनुरूप,
- उत्तरदायित्वों पर बल सहित युगमित पर्यवेक्षण
- सुविधापूर्ण और सुसज्जित शिक्षा संस्थान।
- प्रत्येक छात्र के शिक्षण में विशेषकर आवास में समुदाय अनुसमर्थन तथा भागीदारी
- शिक्षक जो अन्य के अलावा यह निरुपित करे:
  - समूह और व्यक्तियों के साथ उपयुक्त संवाद कौशल करे:
  - अपने विषयवस्तु के क्षेत्र में विशेषज्ञता
  - लोगों विशेषकर छात्रों हेतु स्नेह,
  - विअआ– एचआरडीसी के निर्णयों का अनुसमर्थन

विअआ– एचआरडीसी के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रम वर्ष भर चलते हैं और वे गैर–व्यावसायिक स्वरूप के होते हैं। मुख्य शैक्षणिक कर्मचारी उपर्युक्त वर्णित कृत्यों का निर्वहन सीईसी तथा पीएमएमएमएनएमटीटी के अंतर्गत स्थापित उन केन्द्रों के साथ मिलकर करते हैं जिन्हें तृपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार परस्पर करार द्वारा के अंतर्गत निष्पादित किया जा सकता है। (संलग्नक 14)।

5.1 एचआरडीसी का ढांचा (कर्मचारी व्यवस्था)

वर्तमान में स्थापित एचआरडीसी अपने उस ढांचे को संरक्षित रखेंगे जिसके लिए इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से पूर्व कार्यरत शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियोजित किया गया था और वे विअआ के उन दिशानिर्देशों से अनुशासित होंगे जो उनकी नियुक्ति के समय लागू थे। सभी कर्मचारी और संकाय जो वर्ष 2015 से पूर्व भर्ती किए गए थे, पर वे निबंधन और शर्तें लागू होंगी जो उनकी नियुक्ति के समय थी।

एचआरडीसी में निम्नलिखित शिक्षण संकाय उपलब्ध कराया गया है:–

(क) शैक्षणिक कर्मचारी

1. **आचार्य निदेशक – 1**: आचार्य निदेशक की नियुक्ति नियमित आधार पर की जाएगी। निदेशक के पद के लिए योग्यताएं वही होंगी जो आचार्य के पद के लिए हैं। आचार्य निदेशक की नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ विअआ के अध्यक्ष द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संस्तुतित नामावली में से अध्यक्ष, विअआ द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति का एक सदस्य संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। जहां कहीं नियमित निदेशकों की नियुक्ति की जाती है वे आचार्य– निदेशक, एचआरडीसी के रूप में कार्य करते रहेंगे। एचआरडीसी का निदेशक शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में एचआरडीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती के लिए संवीक्षा तथा चयन समिति का सदस्य होगा।

   एचआरडीसी का निदेशक, शिक्षा, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में एचआरडीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती के लिए संवीक्षा और चयन समिति का सदस्य होगा।

2. **सहायक आचार्य – 1:** मानव संसाधन विकास केन्द्र में संकाय के स्तर पर किसी नई भर्ती के तहत विअआ विनियम, 2018 का अनुपालन करते हुए केवल एक सहायक आचार्य की भर्ती की जाएगी यदि सहायक आचार्य की भर्ती में विलम्ब होता है तो विश्वविद्यालय विअआ के मानदंडों का अनुपालन करते हुए संविदा पर संकाय की सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

भविष्य में, मेजबान विश्वविद्यालय के निदेशक, एचआरडीसी जो कि चयन समिति का सदस्य होगा के अलावा ये पद सीधी भर्ती जैसा कि विअआ की नियमावली में सहायक आचार्यों के लिए विनिर्धारित है, से भरे जाने चाहिए।

सहायक आचार्य और सह आचार्य के स्तर पर विद्यमान संकाय पर विअआ विनियम, 2018 में संशोधित मानदंड, संलग्नक– प, तालिका–1 और 2 लागू होंगे।

यदि किसी एचआरडीसी में सह आचार्य पहले से ही नियुक्त हैं तो यह पद पदधारक की अधिवर्षिता की सह अवधि तक जारी रहेगा। यदि सहायक आचार्य अथवा– सह –आचार्य और सहायक आचार्य के दोनों पद रिक्त पड़े हों तो केवल सहायक आचार्य का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। एचआरडीसी में महत्वपूर्ण कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा को एचआरडीसी तथा सहायक आचार्य (स्तर 1, स्तर 2 और सह आचार्य स्तर तक) स्तर सहित उनके मूल विभागों के प्रदत्त सेवा की गणना पदोन्नति के लिए की जाएगी। वर्तमान सह–आचार्य/ सहायक आचार्य जो कि विअआ विनियम, 2018 के मानदंड पूरा करते हों, को भी आचार्य के स्तर तक सीएएस दिया जाना चाहिए। ऐसे आचार्य एचआरडीसी के संकाय बने रहेंगे ओर उन्हें सीधी भर्ती/ खुली भर्ती के अंतर्गत निदेशक के पद हेतु आवेदन करने का पात्र माना जाए। उन्हें सीधी भर्ती के अंतर्गत निदेशक के पद के लिए आवेदन देना होगा तथा प्रतियोगिता करनी होगी।

जब कभी रिक्तियां होंगी, भर्ती समझौता ज्ञापन (संलग्नक 3) पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(ख) शिक्षणेतर कर्मचारी

शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार संविदा के आधार पर रिक्त स्वीकृत पदों में की जा सकती है। दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास केन्द्र के लिए निम्नवत शिक्षणेतर कर्मचारी विनिर्धारित हैं:

1. तकनीकी अधिकारी : 1
   (आईसीटी एप्लीकेशन्स, अनुरक्षण और प्रशिक्षण)

2. अनुभाग अधिकारी : 1

3. वरिष्ठ सहायक : 1

4. कनिष्ठ सहायक : 1

5. प्रलेखन सहायक (पेशेवर सहायक के स्तर पर) : 1

6. आशुलिपिक– टंकक/कम्पयूटर ऑपरेटर : 1

7. चपरासी/बहु–कार्य स्टॉफ (समूह–ग के स्तर पर) : 1

8. छात्रावास सहायक : 1 (ऐसे एएससी के मामले में जहां स्वतंत्र आवास/ छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हों)

5.2 शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति और शर्तें

शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की योग्यताएं और प्रक्रिया तथा नियुक्ति की विधि वही होंगी जो कि विश्वविद्यालय में ऐसे पदों के लिए निर्धारित है।

5.3 एचआरडीसी के कृत्य

एचआडीसी के कृत्य देश में एक अथवा अधिक विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नवन्युक्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय व्याख्याता हेतु अधिष्ठापन/ अभिविन्यास कार्यक्रमों की आयोजना, आयोजन, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन करने होगें। एचआडीसी सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ प्रशासकों, विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों अधिकारियों आदि के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। वे अध्यापक अधिष्ठापन कार्यक्रम भी चलाएगें तथा छात्र अधिष्ठापन कार्यक्रम में सहायता करेंगे। एक एचआडीसी विशेषरूप सेः

(क) उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अभिविन्यास कार्यक्रम को तैयार करेगा।

(ख) इन अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों को चलाने के लिए विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधकों की पहचान करेगा तथा उन्हें इन कार्यक्रमों के दर्शन तथा दिशानिर्देशों से अवगत करायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की पहचान के लिए डॉटाबेस के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर डॉटाबेस। अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु डॉटाबेस में विशिष्ट शैक्षणिक ज्ञान पर आधारित विशेषज्ञों के नाम संकलित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एचआरडीसी की परामर्शदात्री समिति के सभापति द्वारा अनुमोदित सूची से अधिकतर संसाधकों के नाम शामिल करेगा।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक संदर्भ और स्रोत सामग्री हेतु प्रलेखन केन्द्र सह–ग्रंथालय स्थापित करेगा।

(घ) पाठ्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित विशेषरूप से तैयार की गई सामग्री तैयार करेगा।

(ङ) अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रमों को आयोजित करेगा तथा उनकी निगरानी और मूल्यांकन करेगा।

(च) अध्यापकों के बीच शिक्षा और स्व–सुधार की संस्कृति का इस प्रकार सृजन करेगा ताकि यह तृतीयक स्तर पर शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बन सके।

(छ) विभिन्न स्तरों पर प्रबंधक प्रणाली में उपयुक्त आशोधनों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में सुधार को सुकर बनाने के लिए अभिविन्यास दर्शन से अवगत कराने के लिए विभागाध्यक्षों प्राचार्यों, संकायध्यक्षों तथा अन्य निर्णयकर्ताओं के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

(ड) एचआरडीसी द्वारा चलाए जाने वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में सेवारत शिक्षकों को अपने वरिष्ठों से अनुभव साझा करने तथा एक–दूसरे से परस्पर सीखने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ञ) विभिन्न विषयों में नवीनतम घटनाओं से स्वयं को अध्यतन रखने के लिए सेवारत अध्यापकों का एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो इनके लिए उत्तरदायी होगाः

- बौद्धिक जिज्ञासा का परिवेश
- गहन अनुसंधान तथा ज्ञान अंतरण संस्कृति
- जीवंत और सौहार्दपूर्ण सामाजिक संदर्भ
- अंतरराष्ट्रीय और सांस्कृतिक रूप से विविध शिक्षण परिवेश
- व्यक्तिगत विकास हेतु स्पष्ट सरोकार और अनुसमर्थन
- स्पष्ट शैक्षणिक आवश्यकता, प्रतिप्राप्ति और आकलन
- लाभप्रद गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन स्थल, संसाधन और प्रौद्योगिकियां
- एक अनुकूलित पाठ्यचर्या

(ट) एचआरडीसी शिक्षण संसाधनों सहित वीडियो व्याख्यान विकसित करेगा तथा विअआ द्वारा प्रदत्त साझा पोर्टल में उसे अपलोड करेगा।

(ठ) उनके ज्ञानार्जन को और व्यापक बनाने तथा उन्हें अनुसंधान अध्ययन करवाने के लिए अवसर प्रदान करेगा।

(ड) उच्चतर शिक्षा में नई विधियों तथा नवोन्मेषों को शामिल करेगा ताकि प्रतिभागी पुनः शिक्षा माध्यम में अपने नवानमेषों का विकास कर सके।

(ढ) पाठ्यक्रम समन्वयक से परामर्श करके निदेशक द्वारा प्रत्येक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ण) आईयूटीई के साथ शिक्षणविद्या तथा संकाय विकास के क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वयन करेगा।

6. पाठ्यचर्या

विअआ द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित

पाठ्यक्रम की तैयारी

वास्तव में, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने वाला और निदेशक तथा एचआरडीसी समन्वयक के परामर्श से पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी विभाग पीएमएमएमएनटीटी के तत्वाधान में सीईसी/ केन्द्रों बाहरी विशेषज्ञों और अन्य वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से चर्चा करके तथा उनसे परामर्श करने के पश्चात् उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों के विषयों को तैयार करने में योगदान दे सकता है। ऐसे विशेषज्ञ अद्यतन ज्ञान और विषय के विकास में अंतनिर्हित सामग्री का योगदान देते हुए पूर्ण पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार करना चाहिए जिससे कि उसकी विषय वस्तु में विषय की मूल सामग्री की अनिवार्य प्रतिशतता के साथ–साथ उसमें उदीयमान सामग्री तथा प्राथमिकतापूर्ण वाले आवश्यक प्रयोगशाला और अभ्यास संघटक तथा विषय के प्रासंगिक उन्नयन सहित कंप्यूटर अनुप्रयोगों कर अपेक्षित प्रतिशतता बनी रहे।

सूचना प्रौद्योगिकी में अभिविन्यास कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की विषय सूची अलग से परिचालित की जाएगी।

अभिविन्यास पाठ्यक्रम के संघटक

उपर्युक्त शिक्षकों की प्राप्ति के लिए, अभिविन्यास, पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या चार सप्ताह के कार्यक्रम में 144 घंटे अर्थात् 6 घंटे प्रतिदिन और न्यूनतम समय सहित निम्नलिखित चार संघटक हो सकते हैं।

संघटक क : समाज, पर्यावरण, विकास और शिक्षा के बीच की कड़ी के बारे में जागरूकता

संघटक ख : शिक्षा का दर्शन, भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षाशास्त्र

संघटक ग : संसाधन संबंधी जागरूकता और ज्ञानोत्पति

संघटक घ : प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास

संघटक क : समाज, पर्यावरण, विकास और शिक्षा के बीच की कड़ी के बारे में जागरूकता

इस संघटक का लक्ष्य शिक्षक को शिक्षा का व्यापक संदर्भ तथा समाज में उसकी भूमिका महसूस कराने में सहायता करना होना चाहिएः इसमें शामिल कुछ उदाहरणात्मक विषय हैंः

(प) धर्मनिरपेक्षता
(पप) बहुलवादी समाज
(पपप) राष्ट्रीय एकता
(पअ) बहुभाषिता
(अ) सांस्कृतिक बाहुल्य
(अप) समानता
(अपप) महिला और बच्चों की स्थिति
(अपपप) जातिवाद
(पग) पर्यावरणीय प्रदूषण और जैव विविधता
(ग) गरीबी

(गप) बेरोजगारी
(गपप) शहरीकरण
(गपपप) आधुनिकीकरण
(गपअ) ग्रामीण विकास
(गअ) युवा
(गअप) अनुशासनहीनता

(गअपप) अध्यापक की भूमिका और दायित्व

(गअपपप) मूल्य आधारित शिक्षा
(गपग) भारतीय परम्परा
(गग) भारतीय अस्मिता का सृजन
(गगप) मानवाधिकार
(गगपप) सतत विकास
(गगपपप) वैश्विकरण और उच्चतर शिक्षा
(गगपअ) जनहित आन्दोलन (जनहित याचिका, उपभोक्ता संरक्षण, न्यायिक सक्रियता आदि)

मूल्य आधारित शिक्षा पर बल अधिक दिया जाएगा जिसके कुछ पहलू होंगेः–

- मन और मस्तिष्क प्रणाली की जटिलताओं को समझने का महत्व
- भावात्मक बुद्धिमता
- नकारात्मक भावनाओं के विध्वंसात्मक स्वरूप को महसूस करना
- नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने तथा उन्हें संयमित करने के लिए मस्तिष्क प्रशिक्षण की विधियां
- सकारात्मक भावनाओं को समझने का महत्व
- सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने में मस्तिष्क प्रशिक्षण की विधियां
- मन की शांति बनाए रखने में सचेतन होने का महत्व
- बच्चों तथा प्रौढ़ों के शिक्षण हेतु सामाजिक भावात्मक ज्ञान आवश्यक है जिसमें कि वे प्रतिकूल स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने मस्तिष्क को सयंमित रखें।

संघटक ख : शिक्षा का दर्शन, भारतीय दर्शन और शिक्षण–विज्ञान

इस संघटक का लक्ष्य मूल कौशल तथा उन संवेदनशीलताओं का प्रशिक्षण देना होना चाहिए जिनकी आवश्यकता एक अध्यापक की छात्र कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए होती है। उदाहरणात्मक विषय हैंः

(प) शिक्षा का दर्शन; मूल्य आधारित शिक्षा का लक्ष्य; सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, सहकारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

(पप) भारतीय शिक्षा प्रणाली, नीतियां, कार्यक्रम और आयोजना; संगठनात्मक ढांचा, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता

(पपप) शिक्षा आर्थिकी और मानव संसाधन विकास; संसाधन जुटाना

(पअ) उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासनः गुणवता आश्वासन के संकेतक; आकलन और प्रत्यायन; गुणवता आश्वासन अभिकरण अर्थात् विअआ, अभातशिप, एनसीसीई, एनएएसी आदि।

(अ) शिक्षार्थी और शैक्षिक प्रक्रियाः किशोर शिक्षार्थी को समझना; उत्प्रेरण, रुचि, मानव विकास, स्मरण शक्ति, अभिरुचि, बुद्धिमता, ज्ञानार्जन शैलियां

(अप) शिक्षण की विधि और सामग्री : निर्धारित पाठ, प्रभावी छात्र कक्षा शिक्षण तकनीकी और समनुदेशन

(अपप) शिक्षण में प्रौद्योगिकी : शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण का स्तर और शिक्षण के चरण, श्रृव्य, दृश्य, शिक्षात्मक चलचित्र, कम्प्यूटर, परिणाम आधारित ज्ञानार्जन, ओई आर और एमओओसी

(अपपप) पाठ्यचर्या तैयार करना : दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या विकास, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम और उपचारात्मक पाठ्यक्रम

(पग) मूल्यांकन और प्रतिप्राप्ति : मापन और परीक्षा सुधार जिसमें प्रश्न पत्र तैयार करना भी शामिल है

(ग) शिक्षा लेने के वैकल्पिक विधियां : दूरवर्ती और मुक्त शिक्षा, स्वशिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा।

संघटक ग : संसाधन संबंधी जागरूकता और ज्ञानोत्पति

संघटक का लक्ष्य अध्यापक को आत्मनिर्भर बनाने तथा नए ज्ञान और तकनीकियों, प्रक्रियाओं विधियों तथा ज्ञान स्रोतों से अवगत रखने में सहायता देना होना चाहिए। कुछ उदाहरणात्मक विषय हैंः

(प) सूचना प्रौद्योगिकीः सूचना संग्रहित करने तथा प्राप्त करने की नई विधियां, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, संचार, मल्टीमीडिया, कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन, इंटरनेट आदि

(पप) प्रलेखन केन्द्रः सूचना नेटवर्क, 'इन्फार्मेशन सुपर–हाईवे', राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस

(पपप) ग्रंथालय : संदर्भ सामग्री, ग्रंथ सूची, विश्वकोश आवधिक पत्र पत्रिकाएं

(पअ) संस्थाएं : शीर्ष और विशेषज्ञ संस्थाएं; संग्रहालय, प्रयोगशालाएं, उत्कृष्टता केन्द्र आदि

(अ) अनुसंधान : अनुसंधान परियोजनाएं, प्रायोजक अभिकरण, शैक्षणिक लेख और प्रकाशन, अनुसंधान क्रियाविधि आदि

(अप) उद्योग–विश्वविद्यालय सम्बंध

संघटक घ : व्यक्तित्व निकाय और प्रबंधन

इस संघटक के तहत, अध्यापक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन से परिचित किया जाना चाहिए। उन्हें उन तरीकों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जिनमें वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके उदाहरणात्मक विषय हो सकते हैंः

(प) वाक् कला : मौखिक और गैर मौखिक दो, चिंतन कौशल और वैज्ञानिक मनोवृति

(पप) सृजनात्मकता

(पपप) नेतृत्व, दल निर्माण और कार्य संस्कृति

(पअ) प्रशासनिक कौशल : निर्णय लेना, सेवा नियम, मानव संबंध और परस्पर प्रभाविता

(अ) शैक्षिक प्रबंध : संस्थागत प्रबंधन, समितियों का प्रबंधन, परीक्षा, रुचि कला, खेल और शिक्षा सह कार्यकलाप

(अप) छात्र मार्गदर्शन और परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य : अभिरुचि और मूल्य

(अपप) वृतिकावृति आयोजना और समय प्रबंधन

(अपपप) शिक्षक की प्रभावकारिता : एक प्रभावी अध्यापक के गुण; आचार संहिता, उत्तरदायित्व और अधिकारिता।

जैसा कि इंगित किया गया है कि उपर्युक्त विषय उदाहरणात्मक है, शिक्षकों की आवश्यकता और उनकी शैक्षणिक स्थिति के दृष्टिगत एचआरडीसी विषयों की संख्या और शिक्षण के तरीकों का चयन करेंगे।

प्रत्येक संघटक का महत्व लोचशील रखा जाए और एचआरडीसी संबंधित समूहों की आवश्यकतानुसार समय का आवंटन और आदानों की क्रियाविधि के बारे में निर्णय ले सकता है।

प्रत्येक एचआरडीसी को सूचना प्रौद्योगिकी में जागरूकता के बारे में कम से कम एक तीन सप्ताह का अन्तर्विषयिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए। लगभग एक तिहाई सम्पर्क समय सूचना प्रौद्योगकी अभिविन्यास हेतु अन्य पुनश्चर्या/अभिविन्यास कार्यक्रमों में रखना चाहिए।

प्रत्येक अंतर्विषयिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रतिभागियों के किसी विषय वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समतुल्य होगा।

7. पात्रता लक्ष्य समूह और अवधि

उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्य जो कि विअआ अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल हैं चाहें वे धारा 12(ख) के अंतर्गत उपयुक्त न हो, उन्हें अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाए। उन महाविद्यालयों के शिक्षकों जो अभी धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते लेकिन वे किसी विश्वविद्यालय से कम से कम पांच वर्ष से संबद्ध हैं, को भी इन पाठ्यक्रमों में प्रतिभाग करने की अनुमति है।

7.1 मानव संसाधन विकास केन्द्र महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति विअआ द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयानुसार प्रवेशन/ अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन से करता है। एक सप्ताह के सम्पर्क कार्यक्रम/ अल्पमासिक कार्यक्रमों को शैक्षणिक नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन, उद्यमिता, अनुसंधान कार्यविधि और लैंगिक अध्ययन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित किया जाए। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी प्रशासन में आईटीसी वित्तीय प्रबंधन और परस्पर कार्मिक संबंध सहित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

7.1.1 पूर्णकालिक पाठ्यक्रम

(प) अभिविन्यास पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्णकालिक और आवासीय होगा। एचआरडीसी द्वारा यह सुनिष्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी कि पाठ्यक्रम का आवासीय स्वरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान बनाया रखा जाए।

(पप) संबंधित महाविद्यालय/विष्वविद्यालय विभाग द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान सहभागी व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(पपप) कार्यक्रम के लिए चयनित षिक्षकों को ड्यूटी पर माना जाएगा और प्रायोजक विष्वविद्यालय द्वारा उन्हें पूरा वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

(पअ) सहभागियों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर संस्थानों से किया जाएगा ताकि राश्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि राज्य में पर्याप्त संख्या में सहभागी उपलब्ध नहीं हो, तो एचआरडीसी अन्य राज्यों से सहभागी ले सकता है। सहभागियों की अधिकतम संख्या केवल 40 होनी चाहिए।

(अ) पाठ्यक्रम में सहभागियों की संख्या 20 से 40 होनी चाहिए। किसी विषेश विशय/पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में सहभागी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सहभागियो के आदान– प्रदान के लिए ऐसे निकटतम एचआरडीसी से सम्पर्क किया जा सकता है जिसे विअआ द्वारा समान विशय आवंटित किया गया है ताकि पाठ्यक्रम में सहभागियों की इश्टतम संख्या सुनिष्चित की जा सके।

(अप) सभी पाठ्यक्रमों का आयोजन विअआ– एचआरडीसी द्वारा किया जाएगा। जहां एचआरडीसी है, वहां विष्वविद्यालय विभाग/ महाविद्यालय के लिए अलग से कोई पुनष्चर्या पाठ्यक्रम आवंटित नहीं किया जाएगा।

(अपप) पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करते समय यह सुनिष्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि यह आयोजन मूल विभाग द्वारा किया जाए और यह कि इन पाठ्यक्रमों के आयोजन में संबंधित विभाग का संकाय पूरी तरह से संलग्न हो।

(अपपप) समयनिश्ठता, नियमितता, सहभागिता और उद्देष्यपूर्णता पर बल दिया जाना चाहिए।

(पग) केवल विअआ अनुमोदित कार्यक्रमों में सफल अभ्यर्थियों को विअआ प्रारूप के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। विअआ– एचआरडीसी/ आरसीसी सहभागियों को वैध आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार भी कर सकता है।

(ग) विअआ ने वृत्ति उन्नति के लिए विअआ– एचआरडीसी और पूर्व विअआ– आरसीसी द्वारा संचालित विअआ– प्रायोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ अभिविन्यास कार्यक्रमों से इतर पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों को समकक्षता प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है। तथापि, पीएमएमएमएनएमटीटी केन्द्रों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को समय– समय पर मान्यता प्रदान की जाएगी।

(गपद्ध 'फलिप्ड क्लॉस रूम' के साधन के रूप में ऑनलाइन पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों/ अभिविन्यास कार्यक्रमों/ प्रषिक्षण कार्यक्रमों, जिसे विअआ द्वारा अनुमोदित और संबंधित एचआरडीसी द्वारा ओईआर/ एमओओसी प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदान किया गया हो, को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पराम्परागत पद्धति के समकक्ष माना जाएगा।

7.1.2 नए नियुक्त सहायक आचार्यो के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक नए नियुक्त षिक्षक के लिए अपने नियमितीकरण/ अभिपुश्टिकरण से पूर्व अपने नियुक्ति के एक वर्श के भीतर प्रषिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। प्रषिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य षिक्षक को प्रषासनिक ढांचे से अवगत कराना, उसे कक्षाओं की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनषील बनाना और भिन्न हितग्राहियों के मध्य संबध को समझना है ताकि वे व्यावसायिक आंकक्षाओं को अनुभव कर सकें और सामाजिक– आर्थिक परिवर्तन एवं राश्ट्रीय विकास के माध्यम के रूप में प्रगति कर सकें। विअआ ने प्रषिक्षण कार्यक्रम के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एचआरडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे एचआरडीसी जो पहले पीएमएमएमएनएमटीटी केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं, विअआ के प्रषिक्षण मॉड्यूल को क्रियाषील बनाएंगे। प्रषिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से एक माह का आवासीय कार्यक्रम होता है। यदि एचआरडीसी को 25 से 28 कार्य दिवसों में पूरा कर सकता है, तो यह अनुमत है।

7.1.3 मिश्रित अभिविन्यास कार्यक्रम

कार्यक्रम के तहत, उद्देष्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक परिवेश के प्रति जागरूकता के माध्यम से उनमें आत्मविष्वास का संचार करना है।

यह कार्यक्रम, षिक्षकों को समग्र सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक जगत, जिसमे वे कार्य करते हैं और जिसके वे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, में उनकी भूमिका की सकारात्मक सराहना करके स्वयं तथा अपनी योग्यता की खोज करना है। जिस देष में षिक्षक जागरूक हों और विष्वास के साथ अपने दायित्व को पूरा करते हैं , वहां

षैक्षिक प्रणाली प्रासंगिक और गतिषील बन जाती है।

7.1.3.1 भारतीय स्थितियों में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाना

अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से षिक्षक को उन समस्याओं से अवगत कराना चाहिए जिनका भारतीय समाज सामना कर रहा है और यह भी कि षिक्षा उन समस्याओं का समाधान करती है।

इसमें भारतीय संविधान में स्थापित लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। विशय से संबंधित ज्ञान और षिक्षण विज्ञान से संबंधित मामले, यद्यपि ये स्वंय में महत्वपूर्ण होते हैं, केवल तभी प्रासंगिक हैं जब उन्हें समग्र राश्ट्रीय विकास के संदर्भ में समझा जाए।

7.1.3.2 उच्चतर षिक्षा में निर्णय लेने वालों और नेताओं की सक्रिय भागीदारी

इस बात को पहचानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि षिक्षकों के अभिविन्यास कार्यक्रम संबंधी कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती यदि उच्चतर षिक्षा के निणर्यकर्ता और प्रषासक ऐसे पाठ्यक्रमों के महत्व को नहीं समझते हों।

इसलिए, नए नियुक्त षिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों के साथ षीर्श स्तर के प्रषासकों, विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों, संकायाध्यक्षों, अधिकारियों आदि के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन यह अवगत कराने के मद्देनजर शीर्ष स्तर कि प्रशासकों को अवगत कराने के लिए किया जाए कि षिक्षक अभिविन्यास कार्यक्रम में क्या सीखते हैं? इससे निर्णय लेने वालों को सक्रिय रूप से योजना में भाग लेने; और साथ ही प्रषासक, षिक्षकों से नई भूमिका संबंधी व्यवहार की मांग कर उच्चतर षिक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका में संषोधन करने में सक्षम होंगे।

7.1.3.3 छह वर्श की लगातार सेवा करने वाले नए नियुक्त व्याख्याता के साथ– साथ ऐसे सभी षिक्षक जिन्हें उच्चतर ग्रेड पाने के लिए **अभिविन्यास कार्यक्रम** की आवश्यकता है, को अभिविन्यास कार्यक्रमों में भाग लेने के अनुमति प्रदान की जाएगी। अभिपुश्टि के लिए उपस्थिति एक षर्त होगी और विअआ द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित वरिश्ठ वेतनमान पर पदोन्नति के लिए इस पाठ्यक्रम की गणना की जाएगी।

7.1.4 **पुनष्चर्या पाठ्यक्रम** में प्रवेष प्राप्त करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में भागीदारी पूर्व अर्हता है। षिक्षक, अभिविन्यास पाठ्यक्रम के पूर्ण करने के पश्चात् एक वर्श के अंतराल के उपरांत पुनष्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। साथ ही, दो पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों के बीच कम से कम एक वर्श का अंतराल होना चाहिए, तथापि, यदि पर्याप्त संख्या में सहभागी उपलब्ध नहीं हो अथवा विअआ द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित वृत्ति उन्नति के लिए अर्हता षर्तों को पूरा करने के लिए षिक्षक हेतु यह आवष्यक हो, तो इस षर्त को षिथिल किया जा सकता है।

अभिविन्यास कार्यक्रम तीन सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें न्यूनतम 18 कार्य दिवस और 108 सम्पर्क घंटे होंगे (प्रतिदिन छह घंटे तथा सप्ताह में छह दिन)। पुनष्चर्या पाठ्यक्रम, रविवार के अलावा, दो सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें कम से कम 12 कार्य दिवस और 72 सम्पर्क घंटे होंगे (प्रतिदिन छह घंटे तथा सप्ताह में छह दिन)। इन कार्यक्रमों का आयोजन करते समय कार्यदिवस की संख्या में कोई कमी नहीं होगी।

अंषकालिक/ तदर्थ/ अस्थायी/ संविदागत आधार पर नियुक्त षिक्षकों जो किसी संस्थान में कम से कम तीन शिक्षा सत्रों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रबंधन के स्वरूप के आधार पर भेदभाव किए बिना, जो उनके कौषल उन्नयन के लिए किसी विष्वविद्यालय कार्यक्रम/ पुनष्चर्या पाठ्यक्रम से सम्बद्ध हैं, के आधार पर नामांकित किया जाएगा।

विष्वविद्यालय और महाविद्यालय इच्छुक षिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर विअआ– एचआरडीसी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देंगे। अन्यथा, संबंधित षिक्षकों को वैध कारण बताना पड़ेगा क्योंकि उनके षिक्षकों के लिए आयोजित पाठ्यक्रम से अंततः विष्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ही लाभ होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए नामित षिक्षकों के स्थान पर, यदि आवष्यक हो तो, आंतरिक समायोजन द्वारा अस्थायी व्यवस्था किया की जा सकती है। तथापि, आयोग के लिए प्रतिस्थानी, यदि नियुक्त किया गया हो, को मानदेय या वेतन देने के लिए अतिरिक्त अनुदान देना संभव नहीं होगा।

7.1.5 षैक्षिक प्रषासकों के लिए प्राचार्य की बैठक/कार्यषाला

प्रत्येक एचआरडीसी, निम्नवत हेतु प्राचार्यों/ प्रमुखों/ संकायाध्यक्षों/ अधिकारियों की एक वर्श में एक या दो बैठकें आयोजित कर सकता है :

क) उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रमों और पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों के दर्षन और महत्व से अवगत करवाना और उन्हें षिक्षकों को भेजने हेतु तैयार करना;

ख) पर्यवेक्षक के रूप में उनकी नई भूमिकाओं को समझने हेतु सक्षम बनाना; और विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन प्रणालियों में उपयुक्त आषोधन के माध्यम से उच्चतर षिक्षा में सुधार लाना।

7.1.6 अंतःक्रिया कार्यक्रम

'सेन्टर फॉर एडवांस स्टडीज'/ 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेषल एसिस्टेंस सेन्टर्स' से पीएच.डी./ पोस्ट डॉक्टोरल कर रहे छात्र विअआ– एचआरडीसी/ आरसीसी द्वारा आरसी योजना के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले विषेश अंतःक्रिया कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। अंतःक्रिया कार्यक्रम केवल कार्यषाला/ संगोश्ठी के रूप में होने चाहिए। इस कार्यक्रम की अवधि लगभग तीन से चार सप्ताह की होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य पी.एच.डी./ पोस्ट डॉक्टोरल अध्येताओं और षिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया कराना है। इस कर्याक्रम के लिए सहभागियों की संख्या 20 से 40 होगी। यह अंतःक्रिया कार्यक्रम वर्श में एक आयोजित किया जा सकता है।

इस अंतःक्रिया कार्यक्रम पर होने वाला व्यय का दावा पृथक रूप से किया जा सकता है और यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते के संबंध में भागीदारी करने वाले छात्रों को पुनष्चर्या पाठ्यक्रम के सहभागियों के समतुल्य नही माना जाएगा। तथापि, उन्हें भोजन तथा आवास जैस सत्कार प्रदान किए जा सकते है और छात्र सहभागियों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए।

7.2 अकादमिक और षैक्षणिक परिवेश में विचारों का आदान–प्रदान

विष्वविद्यालय में एक अच्छा अकादमिक और षैक्षणिक परिवेश तैयार करने के लिए पर्याप्त संख्या में षिक्षकों और संसाधकों के साथ मानव संसाधन विकास की आवश्यकता होती है। इससे विअआ– एचआरडीसी को विचारों और विशय क्षेत्र में रूचि के विषयों का आदान–प्रदान करने में सहायता मिलेगी। पारस्परिक लाभ के लिए भागीदारी करने वाले षिक्षकों के व्याख्यानों की व्यवस्था की जा सकती है। विअआ– एचआरडीसी संगत विष्वविद्यालय से अन्य छात्रों और अनुसधानकर्ताओं के लाभ के लिए प्रसिद्ध संसाधक के व्याख्यान आयोजित करने का अनुरोध भी कर सकता है। इससे जहां विअआ– एचआरडीसी केन्द्र स्थित है वहां,

विष्वविद्यालय में पर्याप्त मात्रा में षैक्षिक परिवेश भी तैयार किया जा सकता है। विअआ– आरसी के निदेषक/ समन्वयक, को संबंधित विभाग/ विद्यालय द्वारा उपयुक्त उपाय करने के लिए संसाधक के रूप में आंमंत्रित किए जाने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के नामों को प्रस्ताव करने सहित समय से पहले ही एक योजना तैयार करनी चाहिए।

7.3 षिक्षक के अध्यवेत्तावृति की अवधि के दौरान पुनष्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति

षिक्षकों की अध्यवेत्तावृति के साथ– साथ पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों/ अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का उद्देष्य पेशेवर विकास करना है। यदि षिक्षक अपनी अध्यवेत्तावृति की अवधि के दौरान पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों (जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय– समय पर विहित किया जाता है) में भाग लेने के लिए इच्छुक हो तो इसके लिए उसे इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उसके पेशेवर विकास में वृद्धि होती है। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन शिक्षक अध्येताओं को पुनष्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया हैः–

(क) वह उस अवधि, जब वह पुनष्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले रहा हो, के लिए अपने निवार्ह खर्च का अभ्यर्पण करता है और वह पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व संबंधित अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से इस आषय का षपथ–पत्र एचअरडीसी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो।

(ख) वह उसी विशय मे ंपुनष्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेता है जो उसके अनुसंधान से संबंधित हो।

(ग) इस आधार पर षिक्षक अध्यवेत्तावृति में कोई विस्तार की मांग नहीं करेगा।

7.4 सहभागियों का मूल्यांकन

कार्यक्रम के समापन सप्ताह में विषेशज्ञों, विषेशकर बाहरी विषेशज्ञों को सहभागियों को बहु–विकल्प वस्तुनिश्ठ प्रष्नों के आधार पर मूल्यांकन करने और पहले से किए गए अन्य मूल्यांकनों को ध्यान में रखते हुए सहभागियों को ग्रेड देने के लिए कहा जा सकता है। ग्रेडिंग निम्नानुसार होनी चाहिए :

(क) ए+ : 85 प्रतिशत और अधिक

(ख) ए : 70 प्रतिशत से लेकर 84 प्रतिशत अथवा उससे कम

(ग) बी : 60 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत अथवा उससे कम

(घ) सी : 50 प्रतिशत से लेकर 59 प्रतिशत अथवा उससे कम

(ड.) एफ : 49 प्रतिशत से कम

ऐसे शिक्षक जिन्हें 'एफ' ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें विअआ– एचआरडीसी पर वित्तीय बोझ डाले बिना एक वर्ष के अंतराल पर कार्यक्रम में पुनः भागीदारी करना अपेक्षित होगा।

कुल 100 अंक निर्धारित किए जाने चाहिए और इनका निम्नवत तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिएः

(प) समग्र प्रतिक्रिया 20

(पप) संगोष्ठियां (उपयुक्त 6 के भाग– क में उल्लिखित विविध शीर्षकों पर)

(पपप) परियोजना/ सर्वेक्षण/ अन्य (जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा सामाजिक जुड़ाव आदि विषयों पर) 20

(पअ) आईसीटी आधारित षिक्षण/ मॉड्यूल/सूक्ष्म षिक्षण/ भागीदारी– 20

(अ) बहु विकल्प वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं– 20

उपर्युक्त अंक का संवितरण को विषिश्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सहभागी षिक्षक को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र में ग्रेड अंकित किए जाने चाहिए।

अभिविन्यास और पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों में ओपी/ आरसी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सभी भागीदारों को सभी कार्य दिवस के दौरान सभी सत्रों में भाग लेना चाहिए। उन आपातस्थितियों अथवा अपवादजनक मामलों/ परिस्थितियों, जिनके लिए एचआरडीसी के निदेषक से अधिकतम 3 दिन का अवकाश प्रदान किया जा सकता है, के अलावा कोई अवकाश अनुमेय नहीं है। जो सहभागी इस प्रकार का अवकाश प्राप्त करते हैं, उन्हें अगले कार्यक्रम में उतने दिन भाग लेना होगा और ऐसे सहभागियों को पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत परिषिश्ट 9 और 10 में यथा निर्धारित अनुसार प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

7.5 प्रषिक्षकों का प्रषिक्षण

पीएमएमएमएनएमटीटी के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रषिक्षकों को प्रषिक्षण दिया जाएगा ताकि बदलती भविश्य की जरूरतों के अनुकूल क्षमता निर्माण के लिए समग्र दृश्टिकोण अपनाया जा सके। यह एक नियमित प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही यह एचआरडीसी के निदेषकों को अध्यापक प्रशिक्षण के नए मॉडलों के से अवगत कराने के लिए नयापन भी होगा और यह एक वार्शिक प्रक्रिया होगी।

केन्द्रीय क्षेत्र की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना अर्थात् पीएमएमएमएनएमटीटी को अध्यापक प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों के साथ क्रियाषील बनाना, संकाय प्रशिक्षण हेतु पृथक पद्धति के अपनाए बिना

सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है।

8ण इस योजना की प्रगति की निगरानी प्रक्रिया

सभी एचआरसीडी अग्रिम रूप में अपने पाठ्यक्रमों के वार्शिक कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे। वे अर्द्धवार्शिक प्रगति रिपोर्ट भी जमा करेंगे जिनमें प्राप्त परिणामों का ब्योरा होगा। छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से प्रषिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव विष्लेशण उसकी अपनी षिक्षण संस्था में प्रषिक्षण पष्चात् संकाय की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इससे शिक्षा संबंधी सुदृढ़ता सुनिष्चित होगी और आगे के सुधार के लिए पाठ्यक्रम में संषोधन की भी पहचान की जा सकेगी।

..................संलग्नक 11, 12 के अनुसार प्रदत्त जानकारी तथा निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 13) पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर विअआ द्वारा गठित ''स्थायी समिति'' द्वारा समय–समय पर एचआरडीसी कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और गुणवत्ता आष्वासन संबंधी कार्य पूरा किया जाएगा।

8.1. शिक्षा संबंधी परामर्षदात्री समितिरू

सभी एचआरडीसी के लिए षीर्श स्तर पर स्थायी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक मानव संसाधन विकास केन्द्र में एक शिक्षा संबंधी परामर्शदात्री समिति होगी जिसमें विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उनके पाठ्यक्रमों के संबंध में परामर्श प्रदान करने के लिए और संसाधकों के चयन के लिए उनके प्रतिनिधि होंगे। ऐसे विष्वविद्यालय जहां एचआरडीसी अवस्थित है, उनके कुलपति उक्त समिति के सभापति होंगे। अकादमी परामर्षदात्री समिति के सभी सदस्यों को एचआरडीसी के निदेषक के परामर्ष से सभापति द्वारा नामित किया जाएगा।

समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः

- कण मेजबान विष्वविद्यालय के कुलपति ।
- खण एक कुलपति बाहर से और एक कुलपति उसी राज्य से।
- गण एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामिति।
- घण एचआरडीसी के दो आचार्य– निदेषक, इनमें से एक उस राज्य से बाहर के होंगे।
- ड.ण विष्वविद्यालय के दो प्रतिश्ठित आचार्य/विभागाध्यक्ष।
- चण सम्बद्ध महाविद्यालयों का एक प्राचार्य।

आचार्य निदेषक सदस्य सचिव होंगे।

कुल सचिव और वित्त अधिकारी विषेश अतिथि होंगे। सभी सदस्य सभापति द्वारा नामित किए जाएंगे। परामर्षदात्री समिति का कार्यकाल दो वर्शों का होगा। परामर्शदात्री समिति की वर्ष में दो बैठकें होंगी। वित्तीय मामलों सहित एचआरडीसी से संबंधित सभी मामले समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

9ण वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एचआरडीसी को शतप्रतिशत सहायता उपलब्ध कराएगा। इस सहायता को जारी रखने के लिए एचआरडीसी के कार्यकरण की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी। एचआरडीसी, विषेशज्ञ समिति अपनी सिफारिषों में स्पश्ट रूप में इसके समय–सारणियों और जारी की जाने वाली धनराषि का उल्लेख करेगी। एक बार अनुमोदित की गई राषि को विष्वविद्यालयों में सक्षम प्राधिकारी को सीधे जारी किया जाएगा। यह विष्वविद्यालय निधियां जारी किए जाने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लक्षित कार्य हेतु जारी की गई निधि संबंधी ब्योरे को हमेशा ही इसके हितधारकों द्वारा संवीक्षा हेतु कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी सहित विष्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्पश्ट रूप से अपलोड किया जाएगा।

आरंभ में, मानदंडों के अनुसार मौजूदा प्रत्येक एचआरडीसी को निम्नलिखित वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगाः

9.1. मुख्य सहायतारू

ए	**वेतन**	**वास्तविक आधार पर**
पप	पुस्तकालय व्यय’	3.00 लाख रूपए प्रतिवर्श
पपप	उपकरण	5.00 लाख रूपए प्रतिवर्श
पट	कार्यचालन व्यय	एकमुष्त प्रतिवर्श 10.00 लाख रूपए
ट	भागीदारी लागत	वास्तविक आधार पर
सभी एचआरडीसी के लिए बेहतर इंटनेट कनेक्टिविटी, वीडियो सम्मेलन सुविधा (एवीआर सुविधा) और ’स्मार्ट क्लॉस रूम’ के साथ एक कंप्यूटर लैब उन्नयन/ स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकमुष्त 25.00 लाख रूपए की अनुदान राषि प्रदान की जा सकती है।		

’पुस्तकालय व्यय में पुस्तक, जर्नल, पत्र पत्रिकाएं, विष्वकोष, समाचार पत्र, दृष्य–श्रव्य संसाधन आदि षामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आरसी में गैर– विज्ञान विशयों के लिए 40,000 रूपए, विज्ञान विशयों के लिए 50,000 रूपए और प्रत्येक अनुकूलन कार्यक्रम के लिए 50,000 रूपए अतिरिक्त कार्यचालन व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा जिसका उपयोग पठन सामग्रियों, रसायनों, लघु उपकरणों और इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यकरण के लिए आवष्यक समझी जाने वाली वस्तुओं की तैयारी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

आयोग, अकादमी प्रषासकों हेतु अल्पावधि कार्यक्रमों, संगोश्ठियों/ कार्यषालाओं हेतु व्यय (अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो) को पूरा करने के लिए प्रतिवर्श 2.00 लाख रूपए तक की राषि की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9ण्2ण कार्यचालन संबंधी व्ययरू

इन दिषानिर्देषों के अन्य उपबंधों के होते हुए भी कार्यचालन व्यय में डाक षुल्क, लेखन सामग्री, मुद्रण, परिवहन, सचिवालय सेवाओं, रसायनों की खरीद, उपकरण की लघु मदों, सलाहकार समिति के सदस्यों के

यात्रा व्यय/ दैनिक व्यय, मानदेय और आतिथ्य, समारोहों (आतिथ्य, स्मृति चिह्न, स्मरणीय वस्तुएं, विविध वस्तुएं आदि), पेपर सेटिंग, लेख/ परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन, अस्थायी प्रषासनिक/सहायक कर्मचारियों का संलग्नक (संविदा आधार/दैनिक मजदूरी/ अंषकालिक आधार पर) आदि खर्च षामिल होंगे। कार्यचालन व्यय को परिवहन, अनुरक्षण, मुख्य संकाय के यात्रा व्यय/ दैनिक व्यय और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कार्यचालन व्यय के तीस प्रतिषत भाग को अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

किसी पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कुलपति के अनुमोदन से कार्यचालन व्यय के तीस प्रतिषत भाग को अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। विष्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरूद्धार और साज– सज्जा के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसका व्यय कार्यचालन हेतु किए गए प्रावधान से किया जाएगा।

9.3. सहभागी लागतरू

सहभागी लागत के तहत निम्नलिखित मदें षामिल हैंरू

- ण्ण बाहरी सहभागियों के लिए यात्रा भत्ता और सभी सहभागियों के लिए आतिथ्य।
- ण्ण्ण संसाधकों के लिए यात्रा व्यय/ दैनिक व्यय और मानदेय।
- ण्ण्ण्ण पठन सामग्री।
- ण्ट्ण अतिरिक्त कार्यचालन व्यय।
- ण्टण पाठ्यक्रम समन्वयक के लिए मानदेय।

9.3.1 सहभागियों के लिए आतिथ्यरू

आतिथ्य (जिसमें ठहरने, रहने, चाय और नाष्ता और कार्य के दौरान दोपहर का भोजन षामिल है) प्रदान करने के लिए एचआरडीसी को प्रति कार्य दिवस प्रति सहभागी 500 रूपए का भुगतान किया जाएगा और व्यक्ति विशेष को आतिथ्य व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9.3.2 बाहरी सहभागियों के लिए यात्रा व्यय प्रासंगिक प्रभाररू

षिक्षक सहभागियों को टिकट दिखाए जाने पर वातानुकूलित तृतीय श्रेणी रेलवे किराया (सभी रेलगाड़ियों) अथवा वातानुकूलित डीलक्स बस के किराए की सीमा तक किराए का भुगतान किया जा सकता है।

9.3.3 पठन सामग्रीरू

मुद्रित प्रकाषित रचना के रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों/ संकलन के रूप में प्रति सहभागी 500 रूपए की राषि।

9.3.4 संसाधकरू

बाहरी संसाधक को संलग्नक 1 से 8 में दिए गए मानदंडों के अनुसार यात्रा व्यय/ दैनिक व्यय का भुगतान किया जा सकता है। प्रतिदिन 3000 प्रतिदिन की अधिकतम सीमा के साथ 90 मिनट के प्रति सत्र प्रति व्यक्ति को 1500 रूपए की दर से बाहरी/ स्थानीय संसाधक को मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। यह प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम 6000 रूपए के अध्यधीन होगा। बाहरी संसाधकों को किसी पाठ्यक्रम के लिए केवल एक ही बार आमंत्रित किया जाना होता है। स्थानीय संसाधकों को आने–जाने के लिए वास्तविक

परिवहन प्रषुल्कों के रूप में 500 रूपए का भुगतान किया जाना होता है।

9.3.5 पाठ्यक्रम समन्वयकरू

एचआरडीसी प्रत्येक पुनष्चर्या पाठ्यक्रम में एक समन्वयक नियुक्त कर सकता है और उक्त समन्वयक के लिए 9000 रूपए की एकमुष्त अथवा मानदेय राषि ग्राह्य होगी। तथापि, विषेश परिस्थिति में एक से अधिक समन्वयक को नियुक्त किया जा सकता है। मानदेय की राषि उनमें समान रूप से बांट दी जाएगी।

समन्वयक, उसी पाठ्यक्रम में कक्षाएं लेने के लिए मानदेय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

9.4 लेखा प्रक्रियाएं

(प) केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों के संबंध में प्रत्येक विश्वविद्यालय/ केन्द्र द्वारा पृथक लेखा का रखरखाव करना होगा।
(पप) अनुदानप्राप्तकर्ता संगठन के लेखाओं की किसी भी समय भारत के नियंत्रक– महालेखा परीक्षक अथवा उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा उनके विवेक से लेखापरीक्षा की जा सकेगी।
(पपप) अनुदानप्राप्तकर्ता संगठन, भारत सरकार को किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय का ब्योरा और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सरकारी अनुदान के उपयोग को दर्शाया गया हो। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुदानप्राप्तकर्ता, भारत सरकार की मौजूदा उधार दर पर ब्याज सहित तुरंत प्राप्त अनुदान की पूरी राशि वापस करने की व्यवस्था करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा विशेषरूप से छूट प्रदान नहीं की जाए।
(पअ) जब सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाएगा, अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन की भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन करके अथवा सरकार द्वारा निर्धारित की गई किसी भी अन्य पद्धति से समीक्षा की जा सकेगी।
(अ) प्रारंभ में, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एकमुश्त अनुदान राशि को एचआरडीसी को जारी की जाती है। आगे, अनुदान को पिछले अनुदान की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिए जाने तथा उपयोग प्रमाणपत्र भेजे जाने पर तुरंत ही जारी कर दिया जाता है। निधियों का प्रवाह जीएफआर, 2017 के नियम 209 से नियम 212 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ, अनुदान सहायता; अनुदानप्राप्तकर्ता संगठन के लेखा; अनुदान को संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी तथा भारत नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा; तथा अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा व्यय विवरण (एस एंड ई), उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) (प्ररूप जीएफआर 12–ए) जमा किए जाने हेतु प्रक्रिया विहित की गई है।
लेखाओं के अंतिम निपटान के लिए, एचआरडीसी को अपने खातों को वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित करवाने के लिए उपाय करने चाहिए।
यह सरकार द्वारा समय–समय पर लगाई गई ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।

9.5. निधियों का पुनर्विनियोजनः

एक अनुमोदित बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष में धन का पुनर्विनियोजन, परामर्शदात्री बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा
एचआरडीसी, कड़ाई से मानदंडों का अनुरूप ही व्यय कर सकते हैं। कोई भी व्यय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप नहीं हो, उन्हें अनुदान सहायता के प्रयोजनार्थ अनुमोदित नहीं किया जाएगा और विश्वविद्यालय इस प्रकार के अनियमित व्यय को अपने स्रोतों से ही वहन हरना होगा। यदि कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में किसी मामले में कोई संशय हो तो इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा विहित किए गए मानदंडों द्वारा कवर नहीं की गई मदों किए गए किसी व्यय को करने से पूर्व आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए आयोग को संदर्भ भेजा जाए;

9.6 एचआरडीसी के निदेशक को वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजन;

एचआरडीसी के निदेशक को एक समय में 1,00,000/– रुपए का व्यय अनुमोदित करने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें संसाधक, अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के भागीदारों को यात्रा व्यय / दैनिक व्यय का भुगतान करने की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। एचआरडीसी को समय–समय पर प्रकीर्ण व्यय करने के लिए 10,000/– रुपए की अग्रदाय राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

9.7 बैंक खाता खोला जानाः

एचआरडीसी के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय– अनुमोदित बैंक खाता खोला जाए और इसका प्रचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को एचआरडीसी के लिए प्रदत्त अनुदान को तुरंत खाते में अंतरित किया जाए। व्यय विवरण पर एचआरडीसी के निदेशक तथा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी अथवा कुल सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

9.8 पंजीकरण शुल्कः

प्रत्येक भागीदार पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 1000/– रुपए का पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) का भुगतान करेगा। इस प्रकार एकत्रित धनराशि को एचआरडीसी अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए एचआरडीसी के पास रखा जाएगा।

9.9 परिसम्पत्तियां और देयताएंः

प्रत्येक एचआरडीसी अपने सीधे नियंत्रण के अधीन सुविधाओं, परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूची तैयार करेगा। यह विअआ– उपलब्ध कराई गई सुविधाओं (शिक्षण और प्रशासनिक), गैर– शिक्षण और अन्य कर्मचारियों और उनके न्यूनतम वार्षिक व्यय की सूची उपलब्ध कराएगा। यदि किसी कारणवश, विअआ–एचआरडीसी को बंद कर दिया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान

9.10 अभिलेखों का रखरखावः

अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को इष्टतम रूप से प्रभावी बनाने के लिए, एचआरडीसी, सभी भागीदारों, उनकी उपलब्धियों, उनके पेशेवर विकास तथा उनके समक्ष चुनौतियों और शिक्षक के रूप में उनकी सक्षमताओं का एक प्रणालीबद्ध अभिलेख का रखरखाव करेगा।
प्रत्येक एचआरडीसी, संसाधकों, भागीदारों तथा वर्ष– वार और विषय– वार आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम– वार प्रणालीबद्ध अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करेगा। साथ ही प्रत्येक एचआरडीसी, तैयार की गई पठन सामग्री का एक उपयुक्त अभिलेख का रखरखाव करेगा और साथ ही अपने संबंधित ग्रंथालयों में ऐसी सामग्री की प्रतियां रखेगा।

9.11 संलग्नक/ प्ररूपः

संलग्नक–1:	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) हेतु उपयोग प्रमाणपत्र का प्रपत्र

संलग्नक–2:	अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय का विवरण
संलग्नक–3:	अवधि के लिए भागीदारी हेतु लागत/ आतिथ्य पर हुए व्यय के संबंध में व्यय का विवरण
संलग्नक–4:	प्रत्येक स्थानीय भागीदार को स्थानीय आतिथ्य हेतु भुगतान किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण
संलग्नक–5:	बाह्य स्थान से आने वाले प्रत्येक भागीदार को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते की राशि को दर्शाने वाला व्यय का विवरण
संलग्नक–6:	संसाधक और समन्वयक को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते को दर्शाने वाला व्यय विवरण
संलग्नक–7:	अनुमोदित पद के समक्ष नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण
संलग्नक–8:	वित्त वर्ष के दौरान कार्यचालन व्यय के तहत किए गए व्यय का विवरण
संलग्नक–9:	अभिविन्यास कार्यक्रम हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र
संलग्नक–10:	पुनश्चर्या कार्यक्रम/ प्रवेशन कार्यक्रम/ संपर्क कार्यक्रम हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र
संलग्नक–11:	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र
संलग्नक–12:	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) की समीक्षा
संलग्नक–13:	संबंधित एचआरडीसी को जारी रखने हेतु अत्यावश्यक शैक्षिक लेखापरीक्षा और आवधिक समीक्षा करवाने के लिए समझौता ज्ञापन हेतु प्ररूप
संलग्नक–14:	शिक्षण और ज्ञान अर्जन की पद्धतियों को सतत् रूप से अंगीकार करने के लिए ज्ञान युक्त समाज के ढ़ांचे के भीतर शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीईसी के तहत ईएमआरसी और संबंधित विश्वविद्यालयों के एचआरडीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का प्ररूप

संलग्नक 1

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

..... विश्वविद्यालय

उपयोग प्रमाणपत्र हेतु प्रपत्र

आवर्ती/ अनावर्ती सहायता अनुदान/ वेतन/ पूंजीगत आस्तियों के सृजन के संबंध में वर्ष..... के लिए उपयोग प्रमाणपत्र जीएफआर 12–क {(देखें नियम 238 (1)}

1. योजना का नाम.....
2. क्या आवर्ती/ अनावर्ती अनुदान है .....
3. वित्त वर्ष के प्रारंभ में अनुदानों की स्थिति

(प) हस्तगत/ बैंक में नकदी
(पप) असमायोजित अग्रिम
(पप) कुल

4. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय तथा अंतशेष का ब्योराः (वास्तविक)

र्ष के दौरान अनुदानों के अव्ययित शेष राशि {क्रम संख्या 3(पपप) पर आंकड़े}	इस पर अर्जित ब्याज राशि	सरकारी खाते में वापस जमा की गई ब्याज राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (1+23+4)	किया गया व्यय	अन्त शेष (5–6)
1	2	3	4			5	6	7
			अनुमति संख्या (प)	तिथि (पप)	राशि (पपप)			

मद– वार अनुदानों का उपयोगः

सामान्य अनुदान सहायता	सामान्य अनुदान सहायता– वेतन	अनुदान सहायता– पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन	कुल

वर्षांत में अनुदानों की स्थिति का ब्योरा
(प) हस्तगत/ बैंक में नकदी
(पप) असमायोजित अग्रिम
(पप) कुल

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, स्वयं संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदानों को संस्वीकृत किया गया था, संपूर्ण रूप से पूर्ण किया गया है/ किया जा रहा है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नवत जांच की है कि धनराशि का वास्तव में उस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया थाः

(प) मुख्य खातों और अन्य सहायक खातों और रजिस्टरों (परिसंपत्तियों के रजिस्टर सहित) को संबंधित अधिनियम/ नियमों/ स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/ नियम का उल्लेख करें) में यथा उल्लिखित रखरखाव किया गया है और उपयुक्त उल्लिखित आंकड़े वित्तीय विवरण/ खातों में उल्लिखित लेखापरीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।
(पप) सार्वजनिक निधियों/ परिसम्पत्तियों को सुरक्षित बनाने, परिणामों पर नजर रखने और वित्तीय आगतों के समक्ष वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति, परिसम्पत्तियों के सृजन आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
(पपप) मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जिसमें संगत अधिनियमों/ नियमों/ स्थायी अनुदेशों का उल्लंघन किया गया हो।
(पअ) योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और वे सामान्य स्वरूप के नहीं हैं।
(अ) केवल वांछित लाभार्थियों को ही लाभ पहुंचाया गया है और केवल ऐसे क्षेत्र/ जिलों को कवर किया गया है जहां योजना को चलाए जाने की मंशा थी।
(अप) योजना के विभिन्न घटकों पर किया गया व्यय, योजना के दिशानिर्देशों तथा अनुदान सहायता की निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।
(अपप) यह सुनिश्चित किया गया है कि ..... योजना (योजना का नाम) के तहत वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा विहित अपेक्षाओं के अनुरूप रहा और प्राप्त किए गए निष्पादन/ लक्ष्यों का विवरण और वर्ष जिसके लिए निधियों के उपयोग के परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्हें विधिवत् रूप से संलग्नक–ए में दिया गया है।
(अपपप) निधियों के उपयोग से प्राप्त हुए परिणाम संलग्नक–बी के रूप में विधिवत् रूप से संलग्न हैं (जिसे आवश्यकता/ विनिर्दिष्टताओं के अनुसार संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा तैयार किया जाए।)
(पग) इस मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से एजेन्सी द्वारा निष्पादित विभिन्न योजनाओं को ब्योरा संलग्नक–सी में दिया गया है (जिसे आवश्यकता/ विनिर्दिष्टताओं के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाए।)

दिनांकः
स्थानः
हस्ताक्षरः
नाम ..... वित्त अधिकारी (वित्त का मुखिया)
हस्ताक्षरः
नाम ..... कुल सचिव
(जो लागू न हो उसे काट दें)

संलग्नक 2

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

..... विश्वविद्यालय

प्रपत्र जीएफआर 12–क {(देखें नियम 238 (1)}

अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय का विवरण

.....से .....तक की अवधि के लिए

मद	01 अप्रैल को अथ शेष	वर्ष के दौरान विअआ से प्राप्त अनुदान	उपलब्ध कुल अनुदान (2)+(3)	किया गया व्यय	शेष (4)–(5)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकें						विस्तार से उल्लेख करें
उपकरण						विस्तार से उल्लेख करें
वेतन						विस्तार से उल्लेख करें
कार्यचालन व्यय						विस्तार से उल्लेख करें
भागीदारों हेतु लागत						विस्तार से उल्लेख करें
कुल						

यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)
निदेशक

(हस्ताक्षर)
कुल सचिव

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी

संलग्नक 3

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

..... विश्वविद्यालय

प्रपत्र जीएफआर 12–क {(देखें नियम 238 (1)}

अवधि के लिए भागीदारी हेतु लागत/ आतिथ्य पर हुए व्यय के संबंध में व्यय का विवरण

प्रारंभ होने की तिथि :..... पूर्ण होने की तिथि.....

.....वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान

पाठयक्रम ओपी/ आरसी	अवधि .....से	भागीदारों की संख्या	उपलब्ध कराए गए आतिथ्य हेतु भागीदारों का यात्रा भत्ता व्यय		संसाधक को यात्रा व्यय मानदेय			पाठ्यक्रम समन्वयक हेतु मानदेय (केवल आरसी के मामले में)	कार्यचालन व्यय	पठन सामग्री	कुल
1											
2											
3											
4											
5											
6											

प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)
निदेशक

(हस्ताक्षर)
कुल सचिव

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी

संलग्नक 4

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

..... विश्वविद्यालय

प्रत्येक स्थानीय भागीदार को स्थानीय आतिथ्य हेतु भुगतान किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

भागीदारी लागत : ..... विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

आरंभ होने की तिथि :.....पूर्ण होने की तिथि.....

क्रम संख्या	भागीदार का नाम	किस संस्थान द्वारा भेजा गया	आतिथ्य हेतु व्यय (रुपए में)	आतिथ्य का लाभ नहीं उठाने वाले भागीदारों को भुगतान की गई राशि	कुल राशि (रुपए)
कुल	योगः रुपए				

प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)
निदेशक

(हस्ताक्षर)
कुल सचिव

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी

संलग्नक 5

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

..... विश्वविद्यालय

बाह्य स्थान से आने वाले प्रत्येक भागीदार को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते की राशि को दर्शाने वाला व्यय का विवरण

भागीदारी की लागत' : ..... विषय पर अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

प्रारंभ होने की तिथि :.....

पूर्ण होने की तिथि :.....

क्रम संख्या	भागीदार का नाम	किस संस्थान द्वारा भेजा गया	यात्रा भत्ता (रुपए में)	कुल राशि (रुपए में)

कुल योगः रुपए

प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

' क्योंकि भागीदारों का आतिथ्य एचआरडीसी द्वारा किया जाएगा, इसलिए उन्हें दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा उन्हें केवल यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
निदेशक	कुल सचिव	वित्त अधिकारी

संलग्नक 6

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

संसाधक और समन्वयक को भुगतान किए गए यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते को दर्शाने वाला व्यय विवरण

प्रारंभ होने की तिथि :.....
पूर्ण होने की तिथि :.....

क्रम संख्या	नाम, पदनाम और पता	यात्रा भत्ता (रुपए में)	दैनिक भत्ता (रुपए में)	मानदेय (रुपए में)
क.	संसाधकः			
ख.	पाठ्यक्रम समन्वयक, यदि कोई हो तो।	शून्य	शून्य	

कुल योगः रुपए

प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)
निदेशक

(हस्ताक्षर)
कुल सचिव

(हस्ताक्षर)
वित्त अधिकारी

संलग्नक 7

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

अनुमोदित पद के समक्ष नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण

.....अवधि के लिए

क्रम संख्या	नाम, पदनाम तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वेतनमान तथा मूल वेतन	कुल राशि
	क) शैक्षिक कर्मचारी:		
1ण	आचार्य– निदेशक		
2ण	सह–आचार्य		
3ण	सहायक–आचार्य		
	क) सहायक कर्मचारी:		
1ण			
2ण			
3ण			
4ण			

कुल योग:
भुगतान नहीं की गई शेष राशि, यदि कोई हो तो।
प्राप्त किया गया कुल अनुदान:
वर्ष क दौरान उपयोग किया गया अनुदान:

प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
निदेशक	कुल सचिव	वित्त अधिकारी

संलग्नक 8

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
.... विश्वविद्यालय

वित्त वर्ष के दौरान कार्यचालन व्यय के तहत किए गए व्यय का विवरण

क्रम संख्या	मद	व्यय की गई राशि (रुपए)
1ण	लेखन सामग्री	
2ण	मुद्रण	
3ण	डाक व्यय	
4ण	परिवहन	
5ण	जल प्रभार	
6ण	विद्युत प्रभार	
7ण	टेलीफोन प्रभार	
8ण	एचआरडीसी छात्रावास/ कार्यालय की साज– सज्जा सहित ब्योरा, यदि	
9ण	निर्धारित वेतन/ अंशकालिक आधार पर अस्थायी प्रशासनिक/ सहायक कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करना: क्रम संख्या नाम पदनाम तथा भुगतान की गई राशि	
10ण	मुख्य कर्मचारियों को भुगतान किया गया यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता: क्रम संख्या नाम पदनाम तथा भुगतान की गई राशि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
निदेशक	कुल सचिव	वित्त अधिकारी

संलग्नक 9

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– प्रायोजित अभिविन्यास कार्यक्रम
यह प्रमाणित किया जाता है कि
(भागीदार का नाम)
(पदनाम)
(महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम)
(स्थान)
विश्वविद्यालय से संबद्ध
दिनांक ..... से .....तक आयोजित
अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया तथा ..... ग्रेड प्राप्त किया।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
निदेशक	**समन्वयक**	**कुल सचिव/कुलपति**

ग्रेड निम्नानुसार होने चाहिए:
ए+ : 85 प्रतिशत और अधिक
ए : 70 प्रतिशत से लेकर 84 प्रतिशत अथवा उससे कम
बी : 60 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत अथवा उससे कम
सी : 50 प्रतिशत से लेकर 59 प्रतिशत अथवा उससे कम
एफ : 49 प्रतिशत से कम
ऐसे शिक्षक जिन्हें एफ ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें विअआ– एचआरडीसी पर वित्तीय बोझ डाले बिना एक वर्ष के अंतराल पर कार्यक्रम में पुनः भागीदारी करना अपेक्षित होगा।
कुल 100 अंक निर्धारित किए जाने चाहिए और इनका निम्नवत तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए:
समग्र प्रतिक्रिया 20
संगोष्ठियां (उपयुक्त 6 के भाग– क में उल्लिखित विविध शीर्षकों पर)
परियोजना/ सर्वेक्षण/ अन्य (जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा सामाजिक जुड़ाव आदि विषयों पर) 20
सूक्ष्म शिक्षण/ भागीदारी 20

बहु विकल्प वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 20
नोट : उपयुक्त जानकारी को प्रमाणपत्र के पीछे मुद्रित किया जाए।

संलग्नक 10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– प्रायोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
यह प्रमाणित किया जाता है कि
(भागीदार का नाम)
(पदनाम)
(महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम)
(स्थान)
विश्वविद्यालय से संबद्ध
दिनांक ..... से .....तक आयोजित
अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया तथा ..... ग्रेड प्राप्त किया।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
निदेशक	**समन्वयक**	**कुल सचिव/कुलपति**

ग्रेड निम्नानुसार होने चाहिए:
ए+ : 85 प्रतिशत और अधिक
ए : 70 प्रतिशत से लेकर 84 प्रतिशत अथवा उससे कम
बी : 60 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत अथवा उससे कम
सी : 50 प्रतिशत से लेकर 59 प्रतिशत अथवा उससे कम
एफ : 49 प्रतिशत से कम
ऐसे शिक्षक जिन्हें एफ ग्रेड प्राप्त हुआ हो, उन्हें विअआ– एचआरडीसी पर वित्तीय बोझ डाले बिना एक वर्ष के अंतराल पर कार्यक्रम में पुनः भागीदारी करना अपेक्षित होगा।
कुल 100 अंक निर्धारित किए जाने चाहिए और इनका निम्नवत तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए:

1. बहु विकल्प वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 30
2. संगोष्ठियां/ भागीदार द्वारा प्रस्तुतियां 15
3. परियोजना/ सर्वेक्षण/ अन्य 20
4. सूक्ष्म शिक्षण/ भागीदारी 10
5. समग्र प्रतिक्रिया 25

नोट : उपयुक्त जानकारी को प्रमाणपत्र के पीछे मुद्रित किया जाए।

संलग्नक 11

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

..... **से ..... तक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट**

(वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए)

1- वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को ब्योरा :

क्रम संख्या	**कार्यक्रम का नाम**	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित कार्यक्रम**	**आयोजित किए गए कार्यक्रम**

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित तथा एचआरडीसी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भिन्नता होने की स्थिति में, कृपया कारणों का उल्लेख करें:
2. कार्यक्रम– वार भागीदारों की संख्या:

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	भागीदारों की संख्या

संलग्नक 12

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
..... विश्वविद्यालय

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) की समीक्षा

1. विश्वविद्यालय का नाम, पता, ई– मेल, दूरभाष, फैक्स नम्बरः
2. क्या एकात्म अथवा संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय हैः
3. यदि संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय से कितने महाविद्यालय संबद्ध हैं और संकाय जिन्होंने प्रतिनिधित्व कियाः
4. प्रत्येक वर्ष महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नियुक्त नए सहायक आचार्यों की अनुमानित सख्याः
5. राज्य में मौजूद अन्य विश्वविद्यालय, चाहे वे संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय हों अथवा नहींः
6. राज्य में नए नियुक्त हुए सहायक आचार्यों की अनुमानित संख्याः
7. सीएएस/ डीएसए/ डीआरएस/ सीओएसआईएसटी/ सीओएचएसएसआईपी के तहत सहायता पाने वाले विभागों की सूचीः
8. तिथि जिसको एएससी/ एचआरडीसी को अनुमोदित तथा स्थापित किया गया थाः
9. अनुमोदित कर्मचारियों के ब्योरे के साथ–साथ नियुक्ति की तिथिः
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों की संख्या तथा प्रशिक्षित किए गए भागीदारों की संख्याः
    क. अभिविन्यास पाठ्यक्रम
    ख. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
    ग. 'समर स्कूल'
    घ. 'विंटर स्कूल'
    ङ अल्पावधि कार्यक्रम
    च कोई अन्य

1. अब तक एएससी/ एचआरडीसी हेतु प्राप्त अनुदान और किया गया व्ययः

वर्ष	राशि (विअआ से प्राप्त)	भेजा गया व्यय/ उपयोग प्रमाणपत्र (तिथि सहित)

संलग्नक 13

विश्वविद्यालय
और
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के बीच समझौता ज्ञापन

1. दोनों संस्थानों का विवरण

विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध को एक प्रमुख संस्था, की स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी।

(विश्वविद्यालय का संक्षिप्त विवरण दिया जाए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– मानव संसाधन विकास केन्द्र (विअआ– एचआरडीसी) (पूर्ववर्ती विअआ– अकादमिक स्टाफ कॉलेज) शिक्षकों/ प्राचार्यों, शोध छात्रों/ गैर– अकादमिक स्टॉफ की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा व्यवस्थित पाठ्यकार्य और पद्धतियों के माध्यम से उनके ज्ञान/ कौशल में वृद्धि करने के लिए है। इसके अलावा, यह न केवल प्रशिक्षित पेशेवर बनाने बल्कि एक बेहतर नागरिक भी बनाने के लिए दृष्टिकोण के विभिन्न तरीकों पर ध्यान देता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निधियां प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में समन्वय करने, मानकों के निर्धारण और अनुरक्षण विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय, शिक्षक के मानकों के निर्धारण एवं अनुरक्षण, विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं शोध, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियम तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। वि.अ.आ– एचआरडीसी के कार्यकरण की निगरानी और समीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन वर्ष या वि.अ.आ द्वारा समय–समय पर सूचित की गई अवधि के बाद करेगा। विअआ समीक्षा के बाद किसी एचआरडीसी को, यदि आवश्यक हो, बंद कर सकता है। मुख्य अकादमिक स्टॉफ उपर्युक्त बनाए गए विभिन्न कृत्य सीईसी– ईएमआरसी और पीएमएमएमएनएमटीटी के अधीन स्थापित केन्द्रों के साथ मिलकर करेगा।

2. कार्यकारी अभिव्यक्ति की परिभाषाः

योजना के दिशानिर्देश के अनुसार, पक्षकारों की भूमिका और उत्तदायित्व की व्याख्या करने के लिए, संबंधित एचआरडीसी को जारी रखने के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा और आवधिक समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देशों का उनकी मूल भावना से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, यह समझौता किया गया है।

3. सहयोग के साथ कार्य करने का समझौता :

(क) विश्वविद्यालय निम्नवत से सहमत होगा :

प. शिक्षण कक्षों के लिए पर्याप्त स्थान, एचआरडीसी के लिए कम्प्यूटर लैब, एक संगोष्ठी हॉल और छात्रावास/गेस्ट हॉउस उपलब्ध कराना।

पप. गुणवत्तापूर्ण विद्वतापर्ति करना तथा वाई–फाई उपलब्ध कराने के लिए कैंम्पस नेटवर्क में एचआरडीसी को सम्मिलित करना।

पपप. समय–समय पर विअआ के दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षण संकाय और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना।

पअ. एचआरडीसी के शिक्षकों को शिक्षण, शोध एवं प्रसार कार्य के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समतुल्य अनुमति देना एवं एचआरडीसी शिक्षकों को समान लाभ देना।

अ. शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति ऑउटसोर्स करना ताकि एचआरडीसी का कार्य प्रभावित न हो।

अप. विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार सभी विश्वविद्यालय सांविधिक निकायों में शिक्षकों को सम्मिलित करना।

अपप. विअआ से निधियां जारी होने में विलंब की स्थिति में एचआरडीसी को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।

अपपप. एचआरडीसी के लेखा का प्रत्येक वर्ष 30 जून को समाधान किया जाएगा।

पग. एचआरडीसी के परिसंपत्तियां जैसे सुविधाएं, और मानव संसाधन एचआरडीसी के नियंत्रण में होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत से सहमत होगाः–

प. एचआरडीसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं उनके निष्पादन के नियमित निगरानी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाना।

पप. समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए समय से अनुदान जारी करना।

पपप. एचआरडीसी के निष्पादन की 3 वर्ष में एक बार आवधिक समीक्षा करना।

पअ. अगले वर्ष 30 सितम्बर तक लेखा समाधान करना।

अ. निदेशकों से फीडबैक लेने के लिए प्रतिवर्ष निदेशकों की बैठक करना तथा प्रभावी कार्यकरण के लिए एचआरडीसी के लक्ष्यों का ब्यौरा देना।

5. प्रशासन

4.1 ग्ग्ग्ग विश्वविद्यालय और विअआ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस समझौता ज्ञापन एवं इससे प्राप्त सभी उपायों की व्यवस्था करेंगे। वे (या उनके निर्धारित प्रतिनिधि) संयुक्त योजना बनाने और उसे लागू करने तथा इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई प्रस्तावित क्रियाकलाप, जो इस समझौता ज्ञापन के सामान्य शर्तों के अनुकूल

नहीं हो उसे इस समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा, बशर्ते इस परिशिष्ट से दोनों पक्षकार सहमत हो और हस्ताक्षर करें।

4.2 इस समझौता ज्ञापन के दिन–प्रतिदिन के कार्यान्वयन के उद्देश्य से निदेशक, एचआरडीसी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमित संचार एवं पत्राचार करने के लिए सहमत हों।

4.3 यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर करने पर प्रभावी और लागू होगा। यह दोनों पक्षकारों के बीच लिखित समझौते द्वारा संशोधन के अध्यधीन होगा।

4.4 इस समझौता ज्ञापन से लाभ लेने एवं इसको मूलभावना से कार्यान्वित करने की दिशा में योगदान देने के लिए सभी पक्षकार समय–समय पर इससे संबंधित समुदायों को अवगत कराएंगे।

5. अवधि

इस समझौता ज्ञापन की अवधि प्रारंभिक रूप में ———— वर्ष होगी, जिसे पारस्परिक विचार–विमर्श और समझौते से बढ़ाया जा सकेगा।

6. वित्तीय प्रावधान

व्यय का बंटवारा पक्षकारों द्वारा परियोजना आधार पर निश्चित किया जाएगा तथा इसे इस समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट के रूप में उल्लेख द्वारा सम्मिलित किया जाएगा।

7. समापन अथवा संशोधन :

7.1 योजना के दिशा–निर्देश के उपबंधों के अनुसार योजना कार्यान्वयन हो जाने पर विश्वविद्यालय योजना से बाहर नहीं निकल सकेगा।

7.2 इस समझौता ज्ञापन के किसी अनुच्छेद में संशोधन दोनों पक्षकारों द्वारा विचार–विमर्श एवं आपसी समझौते से होगा।

8. क्षेत्राधिकार (जहां संगत हो)–

पक्षकार इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबध में उत्पन्न सभी विवादों का त्वरित न्याय संगत एवं सद्भावनापूर्वक समाधान करने हेतु अपने बेहतर प्रयत्न करने के लिए सहमत है तथा इससे भी सहमत है कि सामान्य कार्यावधि के समय उन दस्तावेजों की सूचना एक–दूसरे को तर्कसंगत रूप में देंगे जिनका विशेषाधिकार किसी को नहीं है और किसी विवाद से संबंधित आंकड़ा भी देंगे। सभी विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली, भारत के क्षेत्राधिकार में है।

9. विश्वविद्यालय और विअआ द्वारा वचनबद्धता :

9.1 इसके द्वारा पक्षकार के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु घनिष्ठ एवं सहयोग से कार्य करने का तथा इस समझौता ज्ञापन को लेकर उनके बीच उत्पन्न विवादों के सद्भाव के माध्यम से समाधान का प्रयत्न करने का वचन देते हैं। अदम्य मतभेदों के कारण ऐसा संभव न होने पर यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों के परस्पर सहमति से समाप्त किया जा सकेगा।

9.2 इस समझौता ज्ञापन के पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस समझौता ज्ञापन को पढ़ा है और समझा है तथा इसके निबंधन एवं शर्तों को मानने को सहमत है।

10. बौद्धिक संपदा अधिकारः

संयुक्त प्रयास से विकसित बौद्धिक संपत्ति पक्षकारों की संयुक्त संपत्ति होगी। इससे प्राप्त कोई वित्तीय लाभया अन्य का बंटवारा पक्षकारों के बीच उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों/ आदानों के अनुरूप सामानुपातिक आधार पर किया जाएगा। इसके साक्षी स्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इसके लिए सम्यक रूप से अधिकृत होने पर, अंग्रेजी भाषा में इस समझौता ज्ञापन की दो प्रतियों पर निम्नलिखित स्थान और दिनांक को हस्ताक्षर किया है।

भारत में, ———————माह———— को गगगगगग विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षर किया गया	नई दिल्ली में, ———————माह———— को गगगगगग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से हस्ताक्षर किया गया
कुल सचिव	प्राधिकृत अधिकारी
साक्षीगण :	साक्षीगण :
1.	1.
2.	2.

(एक साक्षी संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थानों का समन्वयक होना चाहिए)

संलग्नक 14

शिक्षण और ज्ञान अर्जन की पद्धतियों को सतत् रूप से अंगीकार करने के लिए ज्ञान युक्त समाज के ढ़ांचे के भीतर शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशन कम्यूनीकेशन के अंतर्गत ईएमआरसी

मानव संसाधन विकास केन्द्र

के मध्य

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

विषयवस्तु

अनुच्छेद –1 प्रयोजन
अनुच्छेद –2 सहयोग का दायरा
अनुच्छेद –3 सहयोग की सामान्य शर्तें
अनुच्छेद –4 संयुक्त क्रियाकलापों पर बल देना
अनुच्छेद –5 सूचना का आदान प्रदान
अनुच्छेद –6 पारस्परिक आमंत्रण
अनुच्छेद –7 आवधिक परामर्श
अनुच्छेद –8 मुख्य बिन्दु
अनुच्छेद –9 क्रियाकलापों की तैयारी, कार्यान्वयन और उनका मूल्यांकन
अनुच्छेद –10 संस्थागत प्रतीकों की स्वीकृति एवं उपयोग
अनुच्छेद –11 समझौता ज्ञापन की शर्तें और समीक्षा
अनुच्छेद –12 विविध
निष्पादन पृष्ठ

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन पर ––––/ –––––– /2018 को निम्नलिखित पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिलली–110002 (जिसे इसके पश्चात् 'विअआ' कहा जाएगा)

2. मानव संसाधन विकास केन्द्र, जिसका मुख्यालय संबंधित विश्वविद्यालय में होगा (जिसको इसके पश्चात् एचआरडीसी कहा जाएगा)

3. 'कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशन कम्यूनीकेशन' के अन्तर्गत 'एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर' (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र) जिसका मुख्यालय निकटतम एचआरडीसी होगा (जिसे इसके पश्चात् ''ईएमआरसी'' कहा जाएगा); और

विअआ, एच.आर.डी.सी. और ई.एम.आर.सी. को पृथकतः 'पक्ष' कहा जाए और संयुक्त रूप से 'पक्षों' कहा जाएगा।

जबकि,

(क) निधियां उपलब्ध कराने, समन्वय करने, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्तर के निर्धारण करने और उसे बनाए रखने, विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्द्धन और समन्वय, अध्यापन का स्तर निर्धारित करने और उसे बनाए रखने, विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं एवं शोध, शिक्षा के न्यूनतम स्तर के संबंध में विनियम बनाने के उत्तरदायित्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में निहित हैं,

(ख) विअआ –मानव संसाधन विकास केन्द्र (विअआ – एचआरडीसी) (विगत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमिक स्टॉफ कॉलेज) अध्यापकों/ प्रधानाचार्यों, शोधार्थियों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा व्यवस्थित पाठ्यक्रम और कार्यविधि के माध्यम से उनके ज्ञान/ कौशल को बढ़ाने के लिए बना है। इसके अतिरिक्त, यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भिन्न दृष्टिकोण, केवल एक प्रशिक्षित पेशेवर बनने पर ही नहीं बल्कि एक बेहतर नागरिक बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है;

(ग) सीईसी के अन्तर्गत विअआ, ईएमआरसी देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मीडिया केन्द्र हैं जिनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए संस्थान के भीतर (इन हॉउस) गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना है। यह केन्द्र, वीडियो और मल्टीमीडिया आधारित कार्यक्रम तैयार करने में जुटा हुआ है और मीडिया केन्द्रों के पास 500 से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक उपकरण हैं; और

(घ) पक्षकार, भविष्य में उच्चतर शिक्षा में काफी परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं अर्थपूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ज्ञान समाज के दायरे के अंतर्गत अध्यापकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए अध्यापन और शिक्षण, शिक्षाशास्त्र संबंधी दृष्टिकोण, अध्यापक छात्र संबंध और अध्यापकों की भूमिका के तरीकों के सतत् अनुकूलन के लिए अंतर्निहित तंत्र विकसित करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के ध्येय और कार्यों के संबंध में अलग तरीके से सोचते हैं;

अतः अब,उनके सामान्य हितों और उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में पक्षों में मौजूदा समझ को पूरा करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए पक्ष निम्नलिखित विषयों पर अपनी आपसी समझबूझ की पुष्टि करते हैं:

अनुच्छेद – 1 प्रयोजन

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना के कार्यान्वयन ढांचे का उच्च स्तर अर्थात् स्तर–ण्ण् का गठन करेगा।

1.2 समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ईएमआरसी (सीईसी) की सहायक इकाई के रूप में पहचान की गई है। यह कार्यान्वयन ढांचे का स्तर–ण् होगा।

1.3 ––––––––––, जोकि एच.आर.डी.सी है, के कार्यान्वयन ढांचे का सबसे निम्न स्तर अर्थात् स्तर–ट होगा।

1.4 उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए विवरण के अनुसार स्तर–ट तथा स्तर–ण्, स्तर–ण्ण् को रिपोर्ट करेंगे

1.5 इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षण के तरीकों के सतत् अनुकूलन हेतु ज्ञान से युक्त समाज के दायरे के अंतर्गत अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहयोग विकसित करना है।

1.6 इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन, पक्षों द्वारा आपसी सहयोग की इच्छा तक विशिष्ट रूप से सीमित है और इसकी मंशा किसी भी पक्ष पर किसी प्रकार की वैधानिक बाध्यता थोपना नहीं है।

1.7 यह समझौता ज्ञापन पक्षों के मध्य मौजूदा समझबूझ और अन्य व्यवस्थाओं का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करेगा।

अनुच्छेद – 2 सहयोग का दायरा

अपने संबंधित अधिदेशों, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के संदर्भ के अंतर्गत, पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगेः

(क) निःशुल्क वृहद ऑनलॉइन मुक्त पाठ्यक्रमों (एमओओसी) और हॉइब्रिड क्लॉसेज, एंडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर और परंपरागत डिग्री क्रेडिट्स को त्यागकर शिक्षा शास्त्र में विशेषरूप से तैयार किए गए अभिविन्यास कार्यक्रमों द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता शिक्षा और तैयार किए गए पाठ की योजना के लिए पहुंच को बढ़ाना है,

(ख) सेवारत अध्यापकों के लिए ऐसे समिश्रित शिक्षण कार्यक्रम (प्रवेशन/ अभिविन्यास/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) विकसित करना जिनमें परिणाम पर बल दिया जाएगा न कि वितरण पर, जिसमें कम से कम तीन से पांच वर्ष में प्रत्येक अध्यापक को शामिल किया जाएगा ताकि वह स्वयं को अनुदेशक मात्र न समझें बल्कि एक विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विकास दल अभिकल्पक और प्रशिक्षक समझे,

(ग) अध्यापकों को संस्थान के भीतर (इन–हॉउस) एजुकेशन टैक्नोलॉजी इनक्यूबेटर विकसित करने के लिए अध्यापकों को साधन उपलब्ध कराना जिससे उद्यमिता स्टार्ट–अप को बढ़ावा मिले जिसके लिए उन्हें शोध, सदस्यता और संपर्क उपलब्ध कराया जाए और उन्हें पूंजी से जोड़ा जाए और वह सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं इत्यादि में भाग ले सकें।

(घ) श्रव्य–दृश्य सामग्री विकसित करने और एक– दूसरे की सहायता से निम्नलिखित विषयों पर आधारित कार्य करना जैसे अकादमिक प्रतिनिधित्व, प्रौद्योगिकी वर्द्धित शिक्षण, आपदा प्रबंधन, लैंगिक संवेदनशीलता, आई.पी.आर. सामाजिक संपर्क कार्यक्रम शिक्षण परिणामी आधारित शिक्षा जिसमें मूल्यांकन/ विशेषरूप से तैयार किए गए प्रवेशन/ अभिविन्यास/ पुनश्चर्या और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए लोगों के साथ–साथ सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तैयार करना और अनुदेशात्मक मीडिया और आईसीटी में समेकित संव्यवहार के माध्यम से 'वैल्यू बेस्ड मल्टीमीडिया टीचर्स फैंसीलिटेटर्स' में निम्नलिखित विशेषताएं जैसे सृजनशीलता उत्सुकता, प्रशंसा, कठोर परिश्रम, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, अनुशासन और जोश उत्पन्न कर सकता है।

(ङ) प्राथमिकता के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना और संयुक्त रूप से उनका समाधान करना;

(च) संयुक्त रूप से चिह्नित किए गए क्षेत्रों में यथोचित संयुक्त कार्यक्रम और परियोजनाएं विकसित और कार्यान्वित करना;

(छ) संयुक्त रूप से कार्यशालाएं, सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना; और

(ज) इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनों, प्रकाशनों, तकनीकी सामग्री विशेषज्ञ सेवाओं और अन्य सूचना का आदान–प्रदान करना।

अनुच्छेद–3 उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पक्षों के बीच सहयोग और भागीदारी निम्नलिखित की अति पारस्परिक स्वीकृति पर आधारित हैः

(क) समावेशी और सतत् सहक्रियात्मक विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता;

(ख) सभी हितधारकों की पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता;

(ग) परिणामोन्मुखी विकास नीतियों और कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता।

अनुच्छेद–4 संयुक्त क्रियाकलापों पर बल देना

4.1 समझौता ज्ञापन के प्रयोजनों की प्राप्ति की दृष्टि से पक्षों का मंतव्य निम्नवत हैः

(क) सेवारत अध्यापकों के विकास में मूल्यांकन पश्चात् ओ.ई.आर. और एम.ओ.ओ.सी. के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक इकाई के साथ निकट सहयोग के साथ काम करना, अध्यापक न केवल ज्ञान देंगे बल्कि शिक्षा शास्त्र के रचनाकार, डिजिटल संसाधनों और डिजिटल पाठ्यक्रमों के निर्माता भी बनेंगे;

(ख) शिक्षण प्रबंधन तकनीकों (प्री–डिफान्इड मानक) के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कदम–दर–कदम प्रक्रियाएं और कार्यक्रम भी निर्धारित करेंगे;

(ग) वित्त वर्ष के अन्त में प्रत्येक इकाई द्वारा सुनिश्चित मानदंडों में अंतिम लक्ष्यों की पहचान करना। अध्यापन दल अन्तर पेशेवर होंगे और उन अनेक विषय क्षेत्रों अथवा क्रियाकलापों को सम्मिलित करेंगे जो अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे। अध्यापकों और छात्रों के बीच संबंधों में कुछ परिवर्तन होने की अपेक्षा है। अध्यापक छात्रों के साथ विशेषरूप से शैक्षिक विषय के संयुक्त रूप से तैयार किए जाने में सहयोग करेंगे।

(घ) प्रशिक्षण और ऐसी अन्य कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और चलाना;

(ङ) प्रत्येक कार्यान्वयन चरण के पूर्ण होने की तिथि तक प्रस्तुत की जाने वाली 'मॉइलस्टोन आधारित रिपोर्ट' (एमबीआर) तैयार करना। रिपोट में इसके द्वारा प्रत्येक इकाई में चलाई गई ऐसी कार्यान्वयन क्रियाकलापों से चलाई गई कार्यान्वयन प्रक्रिया समाने आई चुनौतियां और सफलता कारकों इत्यादि का उल्लेख होगा।

4.2 पक्षों की आपसी लिखित सहमति से उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद – 5 सूचना का आदान–प्रदान

पक्षकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि एच.आई.ई. में प्रभावी सहयोग सूचना के मुक्त, विस्तृत और नियमित आदान–प्रदान पर निर्भर करता है। सूचना के प्रकटन से संबंधित अपनी– अपनी नीतियों के

अनुसरण में जहां तक संभव हो पक्षकारों का निम्नलिखित के संबंध में समुचित व्यवस्थाएं करने का इरादा है:

(क) एच.ई.आई से संबंधित प्रकाशनों और सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियों का आदान–प्रदान; और

(ख) आयोजित अथवा प्रायोजित किए जा रहे सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की उनकी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की गई सूचना का आदान–प्रदान,

अनुच्छेद – 6 पारस्परिक आमंत्रण

पक्षकार स्वीकार करते हैं कि सही मायनों में उनके साझा हितों, प्रयोजनों और इरादों पर बल देने के लिए समुचित प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। अतः पक्षों की जहां कहीं, उचित प्रतीत हो एक–दूसरे को बैठकों, सम्मेलनों और समझौता ज्ञापन में सहयोग से संबंधित कार्यशालाओं में आमंत्रित करने की मंशा है।

अनुच्छेद – 7 आवधिक परामर्श

7.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित ऐसी क्रियाकलापों से संबंधित परिणामों का मूल्यांकन करने, नई चुनौतियों, अवसरों और समस्याओं का पता लगाने और उन पर चर्चा करने के लिए इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत योजनागत, चालू और कार्यान्वित की जा चुकी और प्राप्त किए जा चुके क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए आवधिक पारस्परिक परामर्श बैठकें आयोजित किए जाने के महत्व को पक्षकार स्वीकार करते हैं। पक्षकार यह समझते हैं कि ऐसे परामर्श आवश्यक होने पर आवधिक रूप से आयोजित किए जाएंगे लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित किए जाएंगे।

7.2 प्रत्येक एचआरडीसी/ ईएमआरसी ––––––– ' अनुवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल तक जारी की गई निधियों और वित्त वर्ष के दौरान समायोजित की गई देय राशि के लिए निर्धारित प्रपत्र में उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

7.3 –––––––' विश्वविद्यालय अनुदान संस्वीकृत किए जाने की तिथि से अनुमोदित समय–सीमा के अंतर्गत इसके शब्दशः कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के सभी उपबंधों का अनुपालन के लिए सभी संभव प्रयास करेगा।

7.4 –––––––' विश्वविद्यालय परियोजना(ओं) के पूरा होने में विलंब और वस्तुओं की खरीद और कार्यो से संबंधित और अन्य संबंधित संविदात्मक प्रावधानों में ठेकेदारों के साथ उनके समझौतों में 'परिनिर्धारित नुकसानी' उद्गृहित करने की दिशा में समुचित रूप से प्रावधान सम्मिलित करेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत 'परिनिर्धारित नुकसानी' हेतु संपूर्ण राशि की यदि कोई हो –––––––' विश्वविद्यालय द्वारा वसूली की जा सकेगी और समुचित रूप से परियोजना लागत में समायोजित की जाएगी।

7.5 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान –––––––'' इस समझौता ज्ञापन के विचारार्थ विषयों के अनुसार त्रिस्तरीय आश्वासन प्रणाली लागू करेगा।

7.6 –––––––' विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरण और सामग्री विनिर्देशन और निर्माण का तरीका और स्तर, आर.ई.सी. द्वारा अनुमोदित/ निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

–––––––' विश्वविद्यालय, जहां ई.एम.आर.सी. और एच.आर.डी.सी. स्थित है।

अनुच्छेद – 8 मुख्य बिंदु

इस समझौता ज्ञापन के समन्वय और प्रशासन के प्रयोजनों के लिए पक्षकार निम्नानुसार अपने–अपने संपर्क / मुख्य बिंदु निर्धारित करते हैं:

विअआ के लिए : कृपया ध्यान दें : ब्यूरो प्रमुख (एचआरडीसी)

दूरभाष :

फैक्स :

ई–मेल :

ई.एम.आर.सी. के लिए : कृपया ध्यान दें : निदेशक, सीईसी

दूरभाष :

फैक्स :

ई–मेल :

एस.आर.डी.सी. के लिए : कृपया ध्यान दें : निदेशक, एचआरडीसी

दूरभाष :

फैक्स :

ई–मेल :

अनुच्छेद–9 क्रियाकलापों को तैयार करना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना

9.1 पक्षकार निम्नवत तैयार करने के लिए प्रयास करेंगे:–

(क) मौजूदा प्रचालनात्मक क्रियाकलापों की एक सूची और उनकी कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) अगले वर्ष के लिए सभी योजनागत सहयोग क्रियाकलापों के संक्षिप्त विवरण सहित एक सूची।

(ग) बाद के दो वर्षों के लिए योजनागत सहयोग क्रियाकलापों की एक संकेतात्मक सूची

9.2 पक्षकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि:

(क) इस समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के अंतर्गत सूचीबद्ध सहयोग संबंधी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उनके संबंधित उपर्युक्त निदेशक उत्तरदायी होंगे;

(ख) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत उनके उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सहयोग हेतु क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एचआरडीसी और ईएमआरसी के उनके

संबंधित उपर्युक्त निदेशक अपनी संबंधित इकाइयों को यथा आवश्यक संक्षिप्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे;

(ग) पक्षकार, समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की संयुक्त मध्यावधि समीक्षाएं करेंगे और आगे की सहयोग क्रियाकलापों पर विचार करेंगे।

अनुच्छेद – 10 स्वीकृतियां और संस्थागत प्रतीकों का उपयोग

पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संयुक्त सहयोग क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी का प्रचार किया जाएगा। अतः पक्षकार समझते हैं किः

(क) ऐसे सहयोग से संबंधित सभी सार्वजनिक सूचना प्रलेखन में सहयोग की जाने वाली परियोजनाओं में प्रत्येक पक्षकार की भूमिका और योगदान की सार्वजनिक स्वीकृति होगी;

(ख) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत क्रियाकलापों से संबंधित सूचना को प्रत्येक पक्षकार की सामान्य प्रक्रिया और नीतियों के अनुसार सामान्य चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त परिणाम को प्रत्येक पक्ष की भूमिका और योगदान की सार्वजनिक स्वीकृति के साथ प्रकाशित किया जाएगा, और

(ग) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत क्रियाकलापों से संबंधित प्रलेखन में प्रत्येक पक्ष के प्रतीकों का उपयोग, ऐसे उपयोग से संबंधित प्रत्येक पक्षकार की मौजूदा नीतियों के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद – 11 समझौता ज्ञापन की अवधि और समीक्षा

11.1 यह समझौता ज्ञापन इस समझबूझ पर अनिश्चितकाल के लिए वैध होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रगति की समीक्षा करेगा और एचआरडीसी/ ईएमआरसी के जारी रहने के संबंध में निर्णय लेगा।

11.2 क्या समझौता ज्ञापन को एक पक्षकार द्वारा समाप्त किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि इस प्रकार का समापन, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आरंभ किए गए किसी कार्यक्रम और गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

11.3 पक्षों की आपसी सहमति से यह समझौता ज्ञापन कभी भी संशोधित किया जा सकता है और किसी भी निबंधन और अथवा शर्तों को संशोधित करने की मंशा की सूचना पक्षकारों को लिखित में दी जाएगी।

अनुच्छेद 12 – विविध

12.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कोई विशिष्ट क्रियाकलाप एक पृथक परियोजना दस्तावेज या लिखित समझौते/ पत्राचार के माध्यम से अभिशासित होगा।

12.2 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कोई विशिष्ट क्रियाकलाप उनके नियमों और प्रक्रिया के अनुसार पक्षों के संबंधित प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

12.3 सूचना के लिखित अथवा अन्यथा आदान–प्रदान से प्राप्त की गई अथवा निकाली गई सभी सूचनाएं जब तक पक्षों द्वारा लिखित में इस बात पर सहमति नहीं हो जाती है तब तक इस समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद भी गोपनीय समझी जाएगी।

(अनुच्छेद समाप्त)

निष्पादन पृष्ठ

इसके साक्षी स्वरूप, अधोहस्ताक्षरी ने अध्यापन के तरीकों के सतत् अनुकूलन के लिए ज्ञान युक्त समाज के दायरे के अंतर्गत अध्यापकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहयोग संबंधी पक्षकारों के विधिवत् रूप से नियुक्त प्रतिनिधियों ने उपयुक्त लिखित दिन, माह और वर्ष को इस समझौता ज्ञापन की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए।

एचआरडीसी के लिए और उसकी ओर से

_____

मानव संसाधन विकास केन्द्र, निदेशक

_____

कुलपति (जिसका संबंधित विश्वविद्यालय में एचआरडीसी मुख्यालय होगा)

_____

निदेशक, सीईसी, 'एजूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर' के लिए और उनकी ओर से

_____

कुलपति (जिसका संबंधित विश्वविद्यालय में ईएमआरसी मुख्यालय होगा)

_____

निदेशक सीईसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के लिए और उसकी ओर से

_____

ब्यूरो प्रमुख (एचआरडीसी)

_____

सचिव (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)